प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट

1. **वित्तीय/वास्तविक निष्पादन का विश्लेषण**

स्टैंडअलोन

I. **राजस्व:**

- ❖ कुल राजस्व वर्ष 2014–15 के 206,131.6 मिलियन रुपए से कम होकर वर्ष 2015–16 के दौरान 205,261.1 मिलियन रुपए हो गया (870.5 मिलियन रुपए की कमी)।
- ❖ प्रचालन राजस्व वर्ष 2014–15 में 198,017.1 मिलियन रुपए से बढ़कर वर्ष 2015–16 के दौरान 199,923.3 मिलियन रुपए हो गया (1,906.2 मिलियन रुपए की वृद्धि)।
- ❖ पिछले वर्ष के यात्री राजस्व 157,933.6 मिलियन रुपए के मुकाबले कम होकर वर्ष 2015–16 के दौरान 156,562.5 मिलियन रुपए हो गया (371.1 मिलियन रुपए की कमी)।

Revenue Breakdown 2015-16

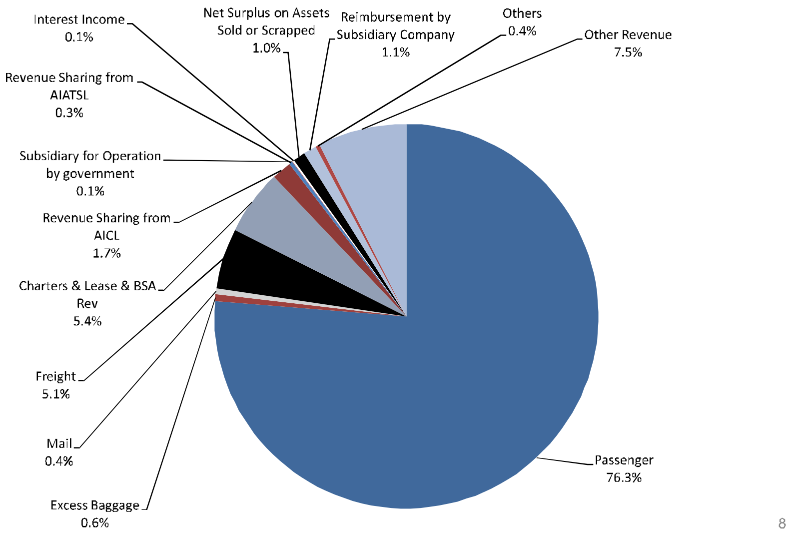

II. **व्यय:**

- ❖ वर्ष के दौरान कुल व्यय 243,613.3 मिलियन रुपए किया गया जबकि गत वर्ष यह आंकड़ा 264,661.8 मिलियन रुपए था (21,408.5 मिलियन रुपए की कमी)।
- ❖ प्रचालन व्यय वर्ष 2014–15 के 223,488.5 मिलियन रुपए से बढ़कर वर्ष 2015–16 के दौरान 224,370.0 मिलियन रुपए हो गया (890.5 मिलियन रुपए की वृद्धि)।

Expenditure Breakdown 2015-16

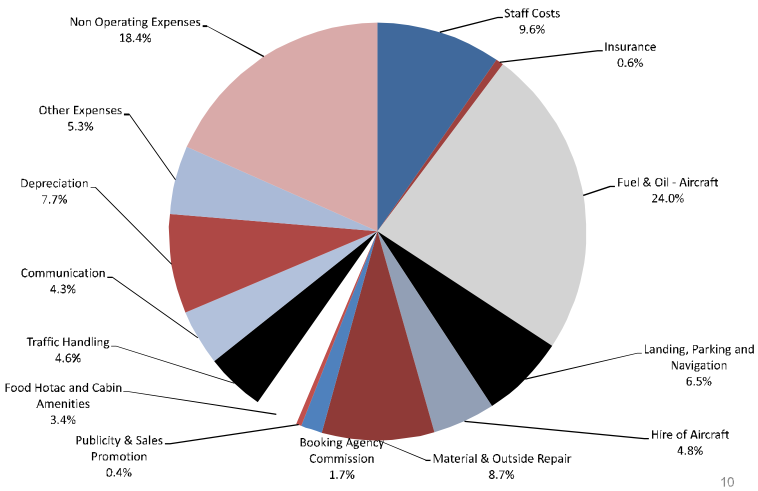

समेकित

I. **राजस्व:**

- कुल राजस्व वर्ष 2014–15 में 232,452.4 मिलियन रुपए से बढ़कर वर्ष 2015–16 के दौरान 236,386.1 मिलियन रुपए हो गया, अर्थात 1.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- यात्री राजस्व 185,202.9 मिलियन रुपए से बढ़कर वर्ष 2015–16 के दौरान 187,036.1 मिलियन रुपए हो गया, अर्थात 0.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।
- अन्य राजस्व वर्ष 2014–15 के दौरान 15,085.3 मिलियन रुपए से बढ़कर वर्ष 2015–16 के दौरान 20,726.1 मिलियन रुपए हो गया, अर्थात 37.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।
- पिछले वर्ष के दौरान 25,355.1 मिलियन रुपए की प्रचालन हानि की तुलना में समूह प्रचालन लाभ 604.9 मिलियन रुपए था ।
- समूह को वर्ष 2015–16 में 43,100 मिलियन रुपए की समेकित सकल हानि हुई, जो पिछले वर्ष की 62,804.3 मिलियन रुपए की हानि की तुलना में 19,700 मिलियन रुपए (31%) से कम है ।

II. **व्यय:**

- कुल व्यय वर्ष 2014–15 के दौरान 295,099.7 मिलियन रुपए से कम होकर वर्ष 2015–16 के दौरान 279,600.8 मिलियन रुपए हो गया, अर्थात 5.25 प्रतिशत की कमी हुई। तथापि, कर्मचारी लागत में 19. 47 प्रतिशत की वृद्धि होकर वर्ष 2014–15 में 34,836.6 मिलियन रुपए से बढ़कर वर्ष 2015–16 में 41,618.6 मिलियन रुपए हो गई है।
- वित्त लागत वर्ष 2014–15 के दौरान 42,827 मिलियन रुपए से बढ़कर वर्ष 2015–16 के दौरान 47,179.4 मिलियन रुपए हो गई है।

2. निष्पादन में सुधार के उपाय

2.1 टर्नअराउंड निष्पादन के लिए योजनाएं

कम्पनी के निष्पादन को सुधारने के लिए अन्य के साथ–साथ कई पहल निरंतर की जा रही हैं :

- हानि वाले कुछ मार्गों को युक्तिसंगत बनाना।
- यात्रियों को आकर्षित करने के लिए कई घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर एकदम नए विमान बेड़े को लगाना।
- पुराने विमान बेड़े को हटाना ताकि अनुरक्षण लागत में कमी आए।
- ठेके पर रोजगार एवं आउटसोर्स एजेन्सियों में कमी।
- ईंधन काउंसिल और ईंधन प्रबंधन का गठन कर सभी उड़ानों पर ईंधन खपत का गंभीर विश्लेषण करना।
- फ्यूल ऐफिशिएन्सी गेप एनालिसिस (फेगा) के लिए आयटा समूह द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करना।
- सरकारी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अलग सेल बनाने के अलावा आक्रामक विक्रय एवं विपणन नीति से यात्री, कार्गो, अतिरिक्त सामान राजस्व में वृद्धि।

- राजस्व प्रबंधन प्रणाली के उन्नयन, सम्पूर्ण नेटवर्क पर एसएपी–ईआरपी आरंभ करने के साथ–साथ क्विकविन आई टी सोल्यूशन्स का कार्यान्वयन।
- एफएफपी का उन्नयन तथा कम्पेनियन फ्री योजना, एपेक्स किराए, जीओआई पैकेज, पसंदीदा एजेंट पार्टनरशिप, वेब बुकिंग का उन्नयन तथा एआई हॉलीडे आदि जैसी अन्य संवर्धन योजनाओं सहित विविध विपणन पहल प्रारम्भ करना।
- ग्राउंड हैंडलिंग तथा एमआरओ गतिविधियों के लिए निर्मित की गई दो सहायक कंपनियों का प्रचालन किया जाना।
- वित्तीय और प्रचालन दक्षताओं में सुधार लाने के लिए वित्तीय पुनर्संरचना योजना और टर्नअराउंड योजना का कार्यान्वयन।

2.2 अतिरिक्त इक्विटी को लगाना – कंपनी की टर्न अराउंड योजना से संबद्ध

वर्ष 2015–16 के दौरान, सरकार ने 33,000 मिलियन रुपए की इक्विटी पूंजी लगाई। 31 मार्च, 2016 को प्रदत्त पूंजी 2,14,960 मिलियन रुपए है (शेयर ऐप्लीकेशन मनी पैंडिंग आबंटन के 29,290 मिलियन रुपए)। वर्ष 2016–17 के दौरान सरकार से इक्विटी पूंजी के रूप में 23,280 मिलियन रुपए की और अधिक राशि लगाई ।

2.3 गोइंग कन्सर्न

अपने प्रचालनात्मक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए कंपनी ने एक टर्न अराउंड योजना (टीएपी) तैयार किया है जो कंपनी के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय दोनों प्रकार के टर्न अराउंड के लिए आवश्यक है। टीएपी पर कंपनी के अनुमानों के आधार पर, एक एफआरपी तैयार किया गया और उसे 01 अक्तूबर, 2011 से लागू किया गया। इसमें अनुमानित नकदी प्रवाह के अनुसार कंपनी के ऋणों की चुकौती का प्रावधान किया गया है।

भारत सरकार से प्राप्त सहायता और अपनी प्रचालन और वित्तीय स्थिति को सुधारने की दिशा में कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण भविष्य में कंपनी की वित्तीय स्थिति में निरंतर सुधार होने की उम्मीद है। सीट घटक, यात्री वहन, विमान उपयोगिता आदि में हुए सुधारों के साथ कंपनी ने प्रचालनात्मक/वित्त निष्पादन में बहुमुखी सुधार दिखलाया। साथ ही, वर्ष के दौरान ईंधन की कीमतों में भी कमी हुई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2014–15 के दौरान 26,361.9 मिलियन रुपए की हुई प्रचालन हानि की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी ने 1,050 मिलियन रुपए का प्रचालन लाभ दर्ज किया। वर्ष 2007–08 में हुए उसके विलय के पश्चात ऐसा पहली बार हुआ है कि कंपनी ने प्रचालन लाभ दर्ज किया है तथा ऐसे में टर्नअराउंड योजना/वित्तीय पुर्नसंरचना योजना में निर्धारित समय–सीमाओं से तुलना किए जाने पर लक्ष्य की प्राप्ति भी दो वर्ष पहले होगी। कंपनी को आशा है कि अनपेक्षित परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो टर्नअराउंड योजना में निर्धारित किए गए समय से पहले ही वह सकारात्मक नकद स्थिति प्राप्त कर लेगी। इसलिए प्रबंधन द्वारा लेखों को गोइंग कन्सर्न आधार पर तैयार किया गया है।

2.4 उत्पाद उन्नयन

क) प्रीमियर क्लब

कंपनी के फ्लाइंग रिटर्न कार्यक्रम में सदस्यता के चार स्तर यथा – बेस, द सिल्वर एज क्लब,द गोल्डन एज क्लब तथा द महाराजा क्लब हैं:

फ्लाइंग रिटर्न कार्यक्रम में 'द महाराजा क्लब' उच्चतम स्तर है जिसके अनुक्रम में गोल्डन एज़ क्लब तथा सिल्वर एज़ क्लब है ।

महाराजा क्लब, गोल्डन एज़ क्लब तथा सिल्वर एज़ क्लब की सदस्यता बारह महीनों की अवधि में क्रमशः 75,000, 50,000 तथा 25,000 माइल्स के अर्जन पर आधारित है ।

महाराजा तथा गोल्डन एज़ क्लब की सदस्यता सदस्यों को बोनस फ्लाइंग रिटर्न पॉइंट, अतिरिक्त बैगेज रियायत, वरीयता चैक–इन, प्रतीक्षा–सूची से पुष्टिकरण में वरीयता, वाउचरों का उन्नयन तथा चुनिंदा एयरपोर्टों पर लाऊंज सुविधा जैसे वृद्धिगत विशेषाधिकार प्रदान करती है।

सिल्वर एज़ क्लब सदस्यों को बोनस फ्लाइंग रिटर्न प्वाइंट, अतिरिक्त बैगेज रियायत, वाउचरों का उन्नयन तथा वरीयता चैक–इन जैसे विशेषाधिकार प्रदान करती है ।

30 सितम्बर, 2016 को इन क्लबों के सदस्यों की संख्या निम्नानुसार है:

द महाराजा क्लब	1,225
गोल्डन एज़ क्लब	2,891
सिल्वर एज़ क्लब	9,834

ख) फ्लाइंग रिटर्न कार्यक्रम

एअर इंडिया के फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को पहचान और रिवार्ड प्रदान करने के लिए फ्लाइंग रिटर्न कार्यक्रम बनाया गया है। फ्लाइंग रिटर्न में सदस्यों को दिए जाने वाले लाभ तथा सुविधाएं निम्नलिखित हैं:–

- बढ़ी हुई चेक–इन बैगेज छूट, टेली चेक–इन, चुनिंदा एयरपोर्टों पर विशेष चेक–इन काउंटर, प्रतीक्षा सूची से प्राथमिकता के आधार पर पुष्टिकरण, बैगेज हैंडलिंग में प्राथमिकता, फ्लाइंग रिटर्न प्वाइंट को पूल करना तथा अनेक विशेष ऑफर।
- एअर इंडिया पर प्वाइंट अर्जित तथा रिडीम करने के अतिरिक्त फ्लाइंग रिटर्न सदस्य हमारे सभी 27 स्टार एलाइन्स पार्टनर वाहकों से भी प्वाइंट अर्जित और रिडीम कर सकते हैं।
- सदस्य हमारी कोड शेयर पार्टनर एयरलाइनों की चयनित उड़ानों पर यात्रा कर प्वाइंट अर्जित कर सकते हैं ।
- सदस्य हमारे नॉन–एयरलाइन पार्टनर्स से फ्लाइंग रिटर्न में रिवार्ड प्वाइंट को ट्रांसफर कर सकते हैं ।
- नॉन–एयरलाइन पार्टनर के रूप में एचडीएफसी बैंक, आईटीसी वेल्कम ग्रुप, अमीरात बैंक ग्रुप, एसबीआई कार्ड, कोटक बैंक, सिटी बैंक तथा ट्रैवलिंग कनेक्ट शामिल हैं।

30 सितम्बर, 2016 तक बेस कार्ड सदस्यों की संख्या निम्नानुसार 20,60,305 थी:

क्षेत्र	
भारत (प्रीमियम क्लब सहित)	**12,97,992**
विदेशों में (प्रीमियम क्लब सहित)	**7,62,313**
कुल	**20,60,305**

फ्लाइंग रिटर्न कार्यक्रम की विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- 27 स्टार एलायंस सदस्य एयरलाइनों में माइल्स अर्जित तथा रिडीम करने की सुविधा।
- विश्वभर में 1000 एयरपोर्टों पर लाउंज सुविधा।
- पार्टनर उड़ानों पर प्रीमियम यात्री लाभ।
- विश्वभर में सदस्यता का विस्तार।
- प्रोफाइल विवरण का ऑनलाइन अद्यतन ।
- मिसिंग माइल्स का ऑनलाइन दावा ।
- www.flyingreturns.co.in पर ऑनलाइन माइल्स रिडीम करने की सुविधा।
- रिडेम्शन टिकटों के लिए कोई न्यूनतम रिडेम्शन सीमा नहीं।
- रिडेम्शन के लिए कमी होने पर 1.25/– रुपए प्रति प्वाइंट की दर से खरीद तथा समाप्त हुए फ्लाइंग रिटर्न पॉइंट की प्रति प्वाइंट 0.60/– रुपए की दर से समय–सीमा बढ़ाना ।

2.5 विपणन पहलः

निगमित नीति

निगमित कंपनियों के लिए निगमित नीति वर्ष 2015–16 के लिए आरंभ की गई । यह योजना बिज़नेस श्रेणी यात्रा के लिए विशेष रियायतों के साथ अंतरदेशीय/अंतरराष्ट्रीय बिक्री पर निगमित कंपनियों को खरीद पर आधारित प्रोत्साहन प्रदान करती है ।

निष्पादन से जुड़ा बोनस (पीएलबी)

ट्रैवल एजेंटों को अंतरराष्ट्रीय बिक्री के लिए भारत में पीएलबी योजना प्रदान की गई थी । इस योजना की सहायता से एअर इंडिया पर, विशेषकर एफ तथा जे श्रेणियों में उच्चतर वृद्धि तथा वृद्धिगत उत्पादकता प्राप्त हो सकी । पीएलबी योजना सिंगापुर, जर्मनी, यूएई, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस में भी आरंभ की गई ।

अल्पकालिक प्रचार

विभिन्न अल्पकालिक प्रचार संबंधी पहलों का आरंभ तथा विज्ञापनः

- मैसर्स यूनिकनेक्ट के साथ संयुक्त प्रचार के माध्यम से सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को निःशुल्क अंतरराष्ट्रीय सिम कार्ड प्रदान किया जाना (दिल्ली, मुंबई, कोच्चि, कोषिक्कोड, तिरूवनंतपुरम, हैदराबाद में लागू)
- माई ड्रीम डेस्टीनेशन द्वारा यात्रियों को सीधे प्रोत्साहन (यात्रा व्यय के आधार पर निःशुल्क लागत योजना (एफओसी))
- बिज़नेस तथा प्रथम श्रेणी में एयरपोर्ट अपग्रेडेशन के लिए गेट अपफ्रंट
- यात्रियों के लिए विमान पर लकी ड्रा
- महाराजा एक्सपीरियन्सः सप्ताह में चार बार किफायती श्रेणी में यात्रा करने वाला कोई भी यात्री एक अपग्रेड के लिए पात्र
- महाराजा बाउंटीः योजना की वैधता के दौरान बिज़नेस श्रेणी में यात्रा करने वाले सभी यात्री साप्ताहिक तथा मेगा लकी ड्रा में सहभागी हो सकेंगे

3. विशेषताएं

पुरस्कार एवं पहचान

वर्ष के दौरान, एअर इंडिया को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए :

- 30 मार्च, 2017 को सर्वोत्कृष्ट विश्वसनीय ब्रांड गोल्ड पुरस्कार रीडर्स डाइजेस्ट एयरलाइन श्रेणी में एअर इंडिया उपभोक्ताओं की पसंदीदा एयरलाइन रही।
- 26 अगस्त, 2016 को गोल्डन कार्ट पुरस्कार 2016 में बिज़नेस वर्ल्ड द्वारा विमानन सेक्टर में भारत का पसंदीदा ई–कॉमर्स ब्रांड।
- 04 मई, 2016 को सिंगापुर के चांगी एयरलाइन पुरस्कार में एअर इंडिया को दक्षिण एशिया की सशक्त रूप से वृद्धि करने वाली एयरलाइन के रूप में चुना गया ।
- 11 दिसम्बर, 2015 को वर्ष 2015 के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी हेतु, बेहतरीन योगदान के लिए विश्व गुणवत्ता कांग्रेस तथा विश्व संवर्धन फोरम द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य एवं संरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया।
- 30 मार्च, 2017 को दिल्ली में आयोजित दैनिक भास्कर भारत गौरव पुरस्कार, 2017 में एअर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अश्वनी लोहानी को जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

4. विमान बेड़े का आकार, नेटवर्क, संयुक्त उद्यम इत्यादि

4.1 विमान बेड़े का आकार

दिनांक 31 मार्च, 2016 के अनुसार, एअर इंडिया के विमान बेड़े में निम्नलिखित विमान सम्मिलित थेः

विमान प्रकार	स्वयं के	लीज़ पर	विक्रय तथा लीज़ बैक	कुल
बी777–200एलआर	03	–	–	03
बी777–300ईआर	12	–	–	12
बी747–400	03	–	02	05
बी787–800	09	–	12	21
ए320	19	05	–	24
ए319	19	03	–	22
ए321	20	–	–	20
ए330–200	–	02	–	02
कुल	**85**	**10**	**14**	**109**

4.2 नेटवर्क

वर्ष 2015–16 के दौरान अंतरराष्ट्रीय प्रचालन पैटर्न निम्नानुसार रहा:

मार्ग	ग्रीष्मकालीन 2016	शीतकालीन 2016	ग्रीष्मकालीन 2015	शीतकालीन 2015
भारत/न्यूयार्क	7	7	7	7
भारत/शिकागो	7	7	7	7
भारत/नेवार्क	10*	10	7	7
भारत/सैन–फ्रांसिस्को	3	3	–	3 (1 दिसम्बर, 2015 से प्रभावी)
भारत/लंदन	25*	25	21	28
भारत/बर्मिंघम	7	7	7	7
भारत/फ्रैंकफर्ट	7	7	7	7
भारत/पेरिस	7	7	7	7
भारत/इटली	7	7	7	7
भारत/स्पेन	–	4	–	–
भारत/रशियन फेडरेशन	3	2	4	4
भारत/गल्फ	137	137	141	140

मार्ग	ग्रीष्मकालीन 2016	शीतकालीन 2016	ग्रीष्मकालीन 2015	शीतकालीन 2015
भारत/आस्ट्रेलिया	7	7	7	7
भारत/टोक्यो	4	4	3	4
भारत/शंघाई	5	5	4	5
भारत/हांगकांग/ओसाका	3	3	3	3
भारत/हांगकांग/सियोल	4	4	4	4
भारत/सिंगापुर	21	28	21	21
भारत/बैंकॉक	14	21	14	14
भारत/यांगोन	4	4	4	4
भारत/काठमांडू	15	18	18	18
भारत/कोलंबो	14	14	14	14
भारत/माले	7	13	14	14
भारत/ढाका	7	7	7	7
भारत/काबुल	4	4	6	4

4.3 संयुक्त उद्यम तथा कोड शेयर व्यवस्था

31 मार्च, 2016 को एअर इंडिया की निम्नलिखित विदेशी वाहकों के साथ कोड शेयर व्यवस्थाएं थीं:—

को	प्रचालनकर्ता एयरलाइन	मार्केटिंग एयरलाइन	कोड शेयर का प्रकार
लंदन—न्यूयार्क तथा वापसी	कुवैत एयरवेज़	एअर इंडिया	ब्लॉक स्पेस
फ्रेंकफर्ट—भारत तथा वापसी	लुफ्थांसा	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
म्यूनिख—भारत तथा वापसी	लुफ्थांसा	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
फ्रेंकफर्ट—बर्लिन/म्यूनिख/दसेलडॉर्फ/स्टटगर्ट/एम्सटर्डम/कोपनहेगन/ओसलो/स्टॉकहोम तथा वापसी*	लुफ्थांसा	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
फ्रेंकफर्ट—शिकागो/लॉस एंजिल्स/वाशिंगटन/डेनवर/डेटरोइट तथा वापसी *	लुफ्थांसा	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
दिल्ली—फ्रेंकफर्ट तथा वापसी	एअर इंडिया	लुफ्थांसा	फ्री फ्लो

को	प्रचालनकर्ता एयरलाइन	मार्केटिंग एयरलाइन	कोड शेयर का प्रकार
मॉरिशस –बेंगलूरू–चेन्नै–मॉरिशस	एयर मॉरिशस	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
मॉरिशस–भारत तथा वापसी	एयर मॉरिशस	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
वियना–दिल्ली तथा वापसी	ऑस्ट्रियन एयरलाइन्स	एअर इंडिया	ब्लॉक स्पेस
कोलंबो–भारत तथा वापसी	श्रीलंकन एयरलाइन्स	एअर इंडिया	ब्लॉक स्पेस
भारत–ज़्यूरिख तथा वापसी	स्विस	एअर इंडिया	ब्लॉक स्पेस
सिंगापुर–कोलकाता, बैंकॉक, कुआलालम्पुर, सैन–फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स तथा वापसी	सिंगापुर एयरलाइन्स	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
आदिस अबाबा–भारत तथा वापसी	इथोपियन एयरलाइन्स	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
आदिस अबाबा–दार एस सलाम तथा वापसी*	इथोपियन एयरलाइन्स	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
आदिस अबाबा–नैरोबी तथा वापसी *	इथोपियन एयरलाइन्स	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
आदिस अबाबा–हरारे तथा वापसी *	इथोपियन एयरलाइन्स	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
आदिस अबाबा–एन्टेबी तथा वापसी *	इथोपियन एयरलाइन्स	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
आदिस अबाबा–किगाली तथा वापसी *	इथोपियन एयरलाइन्स	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
मुंबई–चेन्नै / हैदराबाद / बेंगलूरू / त्रिवेन्द्रम / कोच्चि / अहमदाबाद तथा वापसी*	एअर इंडिया	इथोपियन एयरलाइन्स	फ्री फ्लो
दिल्ली–चेन्नै / हैदराबाद / बेंगलूरू / त्रिवेन्द्रम / कोच्चि / अहमदाबाद तथा वापसी*	एअर इंडिया	इथोपियन एयरलाइन्स	फ्री फ्लो
मुंबई–बेंगलूरू / कोलकाता / दिल्ली / हैदराबाद / अहमदाबाद / चेन्नै तथा वापसी*	एअर इंडिया	टर्किश एयरलाइंस	फ्री फ्लो
दिल्ली–बेंगलूरू / कोलकाता / हैदराबाद / अहमदाबाद / चेन्नै / अमृतसर तथा वापसी*	एअर इंडिया	टर्किश एयरलाइंस	फ्री फ्लो
भारत–इस्तानबुल तथा वापसी	टर्किश एयरलाइन्स	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
इस्तानबुल–अंकारा / इज़मिर / अंटाल्या / अदाना / डालामन तथा वापसी*	टर्किश एयरलाइन्स	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
मुंबई–दिल्ली तथा वापसी*	एअर इंडिया	इजिप्त एयर	फ्री फ्लो
मुंबई–कायरो तथा वापसी*	इजिप्त एयर	एअर इंडिया	फ्री फ्लो

को	प्रचालनकर्ता एयरलाइन	मार्केटिंग एयरलाइन	कोड शेयर का प्रकार
दिल्ली–सियोल तथा वापसी	एअर इंडिया	एशियाना एयरलाइंस	फ्री फ्लो
सियोल–दिल्ली तथा वापसी	एशियाना एयरलाइंस	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
दिल्ली–हांगकांग तथा वापसी	एअर इंडिया	हांगकांग एयरलाइन्स	फ्री फ्लो
हांगकांग–ओसाका / सियोल तथा वापसी	एअर इंडिया	हांगकांग एयरलाइन्स	फ्री फ्लो
लंदन–दिल्ली / मुंबई तथा वापसी*	एअर इंडिया	एयर कनाडा	फ्री फ्लो
मिलान–दिल्ली तथा वापसी*	एअर इंडिया	एयर कनाडा	फ्री फ्लो
पेरिस–दिल्ली तथा वापसी*	एअर इंडिया	एयर कनाडा	फ्री फ्लो
हांगकांग–दिल्ली तथा वापसी*	एअर इंडिया	एयर कनाडा	फ्री फ्लो
शंघाई–दिल्ली तथा वापसी*	एअर इंडिया	एयर कनाडा	फ्री फ्लो
टोक्यो–दिल्ली तथा वापसी*	एअर इंडिया	एयर कनाडा	फ्री फ्लो
दिल्ली–मुंबई / अहमदाबाद / अमृतसर / बेंगलूरू / कोलकाता / हैदराबाद / चेन्नै	एअर इंडिया	एयर कनाडा	फ्री फ्लो
मुंबई–अहमदाबाद / बेंगलूरू / कोलकाता / हैदराबाद / चेन्नै	एअर इंडिया	एयर कनाडा	फ्री फ्लो
लंदन–टोरंटो / वेंकूवर / कैलगरी / एडमंटन / सेंट जॉन्स / हैलिफैक्स / मॉन्ट्रियल / ओटावा तथा वापसी*	एयर कनाडा	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
पेरिस–टोरंटो / मॉन्ट्रियल तथा वापसी*	एयर कनाडा	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
मिलान–टोरंटो तथा वापसी*	एयर कनाडा	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
हांगकांग–वेंकूवर तथा वापसी*	एयर कनाडा	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
शंघाई–वेंकूवर तथा वापसी*	एयर कनाडा	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
टोक्यो– वेंकूवर / कैलगरी तथा वापसी*	एयर कनाडा	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
अल्माटि–दिल्ली तथा वापसी	एयर अस्ताना	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
फ्रेंकफ्रर्ट–लुब्लियाना तथा वापसी*	अदरिया एयरवेज़	एअर इंडिया	फ्री फ्लो
फ्रेंकफर्ट–दिल्ली तथा वापसी*	एअर इंडिया	अदरिया एयरवेज़	फ्री फ्लो

*केवल तीसरे / चौथे फ्रीडम ट्रैफिक के वहन के लिए और संपर्क उपलब्ध होने पर।

5. **वित्तीय पहल**

विमान वित्त पोषण :

वर्ष 2015–16 के दौरान, एअर इंडिया ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक तथा ड्यूस बैंक के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त ब्रिज लोन के माध्यम से एक बी787 विमानों के लिए वित्त व्यवस्था की। इन विमानों का वित्त प्रबंधन सेल एवं लीज़ बैक (एसएलबी) व्यवस्था के तहत किया जाएगा जिसके अंतर्गत कंपनी चुने हुए बोली कर्त्ताओं को ये विमान बेचेगी तथा बदले में इन विमानों को 12 वर्षों के लिए ऑपरेटिंग लीज़ पर लेगी। 31 मार्च 2016 तक डिलीवर हुए 21बी 787 विमानों में से 12 विमानों के लिए एसएलबी व्यवस्था पहले ही पूरी की जा चुकी है तथा विभिन्न संस्थानों से प्राप्त ब्रिज लोन चुकाया जा चुका है।

शेष 6 बी787 विमानों की सुपुर्दगी नवम्बर/दिसम्बर, 2016, जुलाई/अगस्त (2)/अक्तूबर, 2017 में निर्धारित है। सुपुर्दगी के एक वर्ष पहले, इन 6 विमानों पर देय प्री–डिलीवरी पेमेंट का भुगतान वर्ष 2015–16 और वर्ष 2016–17 के दौरान किया जा रहा है ।

कंपनी ने 21 विमानों में से शेष 9 बी787 विमानों के एसएलबी (सेल एवं लीज बैक) के लिए ड्यूस बैंक से व्यवस्था की है। भारत सरकार की गारंटी देर से प्राप्त होने के कारण, इन 9 बी787 विमानों के लिए एसएलबी (सेल एवं लीज बैक) को 31 मार्च, 2016 से पहले पूरा नहीं किया जा सका, यह गारंटी 23 जून, 2016 को प्राप्त हुई ।

इसके अतिरिक्त शेष 3 बी777–300ईआर विमानों की सुपुर्दगी जनवरी/फरवरी/मार्च, 2018 में निर्धारित है। सुपुर्दगी के दो वर्ष पहले, इन विमानों पर देय प्री–डिलवरी पेमेंट का भुगतान वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान किया जा रहा है ।

6. **उड़ान सुरक्षा**

- एक समर्पित वेबसाइट flightsafety@airindia.in बनाई गई है जो कंपनी के सभी कर्मचारियों को किफायती लागत पर सुरक्षा संबंधी प्रमुख सूचनाएं प्रदान करने में सहायता देती है।
- उड़ानों के सुरक्षित प्रचालन को मॉनीटर करने के लिए कॉकपिट एवं केबिन निगरानी जांच नियमित आधार पर की जाती है।
- उड़ान में एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ईमेल के माध्यम से क्रू के साथ संपर्क करके नियमित आधार पर कॉकपिट वॉयस रिकार्डर (सीवीआर) की मॉनीटरिंग की जाती है।
- सुरक्षा संवर्धन हेतु कर्मियों की काउंसलिंग नियमित आधार पर की जाती है तथा समयबद्ध एटीआर(एक्शन टेकन रिपोर्ट) की अपेक्षा रखने वाले विभिन्न विभागों को सिफारिशें भेजी जाती हैं।
- पायलटों और केबिन कर्मियों की उड़ान ड्यूटी समय–सीमा (एफडीटीएल) की मॉनीटरिंग की जाती है तथा उल्लंघनों पर उचित रूप से ध्यान दिया जाता है।
- अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू सुरक्षा परीक्षा आवधिक आधार पर की जाती है।
- एयरलाइन के सुरक्षा मूल्यांकन के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है तथा प्राप्त परिणामों पर समयबद्ध रूप से कार्रवाई की जाती है। संबद्ध रिपोर्ट डीजीसीए के समक्ष फाइल की जाती है।
- नए एयरपोर्ट पर उड़ान प्रचालनों को आरंभ करने से पूर्व एयरपोर्ट सर्वे/जोखिम मूल्यांकन किया जाता है।
- सेफ्टी एक्शन ग्रुप (एसएजी) की बैठकें मासिक आधार पर आयोजित की जाती हैं ।
- त्रैमासिक एक्सीडेंस ट्रेंड विश्लेषण तैयार किए जाते हैं जो प्रचालनात्मक मानदंडों की आवश्यकता का विश्लेषण करते हैं। ये रिपोर्टें आवश्यक उपचारात्मक उपायों के लिए प्रचालन/प्रशिक्षण विभाग को भेज दी जाती हैं।

- मुम्बई और दिल्ली में वर्ष में एक बार बेस ऑडिट किया जाता है । अन्य स्टेशनों पर ऑडिट दो वर्षों में एक बार किया जाता है ।
- डीजीसीए सीएआर, एमईएल अपेक्षाओं, सुरक्षा वर्धक प्रशिक्षण (एसईटी)/सुरक्षावर्धक सिफारिशों (एसईआर)/शोधक प्रशिक्षण (सीटी) और उड़ान ड्यूटी समय–सीमा (एफडीटीएल) की अनुपालन जांच आवधिक आधार पर की जाती है ।
- डीजीसीए को सुरक्षा संबंधी मुद्दों की जानकारी देने के लिए मासिक आधार पर डीजीसीए के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ग्राउंड हैंडलिंग के लिए एअर इंडिया लिमिटेड तथा सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज़ (सैट्स) के बीच संयुक्त उद्यम करार:

कंपनी ने कुछ मेट्रो एयरपोर्टों पर एयरलाइन को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सैट्स, सिंगापुर के साथ 50:50 के इक्विटी अनुपात में संयुक्त उद्यम (जेवी) करार किया है। भारत सरकार की ग्राउंड हैंडलिंग नीति संबंधी अधिसूचना के अनुसरण में ऐसा किया गया।

एआई सैट्स पिछले तीन वर्षों से इक्विटी पूंजी पर 15% की दर से लाभांश की घोषणा कर रहा है।

7. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू एम एस)

क्यूएमएस विभाग का आईएसओ प्रमाणन

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा 28 फरवरी, 2017 को आईएसओ प्रमाणन प्रदान करने के लिए अपेक्षाओं के अनुसार क्यूएमएस का निगरानी आडिट किया गया तथा आडिटर ने पुष्टि की कि संगठन द्वारा कार्यान्वित क्यूएमएस आईएस/आइएसओ 9001:2008 के प्रमाणन अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा दस्तावेज प्रणाली प्रभावी तथा पर्याप्त पाई गई।

दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस)

केन्द्रीय कॉरपोरेट दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली सभी विभागों में व्यक्तिगत अधिकारों के अनुसार सभी प्राधिकृत कार्मिकों, तीनों एओपी धारकों तथा स्ट्रैटेजिक बिज़नेस यूनिटों को ब्राउजर के माध्यम से सृजन, सर्च, रिट्रीवल तथा दस्तावेजों का प्रेषण सुनिश्चित करती है। यह प्रभावी रूप से आईओएसए, डीजीसीए, आईएसएजीओ, स्टार एयरलाइन्स मानकों, सरकारी अपेक्षा तथा संगठन अपेक्षाओं के अनुरूप है।

डीएमएस कागजरहित कार्यालय की ओर एक प्रमुख पहल है जो सरकारी तथा विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करने तथा बेहतर पारदर्शिता व दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अपेक्षित है। इसमें न केवल कंपनी की लागतों में बचत होती हैं बल्कि कुशलता में सुधार होने के साथ–साथ समय तथा पर्यावरण का रक्षण होता है ।

क्यूएमएस ने यह सुनिश्चित किया कि मैनुअल की सभी सॉफ्ट कॉपी की समीक्षा, अनुमोदन, अपलोड एवं वितरण डीएमएस द्वारा किया जाता है। वर्ष 2016 के दौरान एआईसीएल, आईओएसए, ईयू, टीसीओ और आईएसएजीओ ऑडिट द्वारा दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली बिना किसी टिप्पणी के पूरा हुआ।

एअर इंडिया एक्सप्रेस का आयटा प्रचालनात्मक सुरक्षा लेखापरीक्षा (आईओएसए)

एअर इंडिया की कम लागत वाली सहायक एयरलाइन एअर इंडिया एक्सप्रेस की प्रारंभिक आईओएसए लेखापरीक्षा आएटा और मैसर्स क्वाली ऑडिट के साथ समन्वित किया गया। कॉर्पोरेट क्यूएमएस के साथ एअर इंडिया एक्सप्रेस के नामित अधिकारियों ने निरंतर सुधार के लिए आईओएसए की अपेक्षा के अनुसार सभी प्रचालनात्मक क्षेत्रों के लिए आंतरिक गुणवत्ता और संरक्षा लेखापरीक्षा 5 से 9 दिसम्बर, 2016 तक की तथा एअर इंडिया एक्सप्रेस को जो 13 मार्च, 2017 से आईओएसए रजिस्ट्री प्रदान की जो 09 दिसम्बर, 2018 तक वैध है ।

ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आयटा सेफ्टी ऑडिट (इसागो)

एअर इंडिया ने इसागो ऑडिट पूल के सदस्य के रूप में वर्ष 2016 में आयटा द्वारा सभी ग्राउंड सर्विस प्रदाता लेखापरीक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया तथा वर्ष 2016 के लेखापरीक्षा निष्पादन का मूल्यांकन 100% के रूप में किया गया ।

दिनांक 12–13 मई, 2016 को मैसर्स वेक लिमिटेड ऑडिटर्स द्वारा एअर इंडिया को पूर्णस्वामित्व वाली सहायक कंपनी एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईएटीएसएल) के मुख्यालय का इसागो रिन्यूवल ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा किया गया तथा कोई टिप्पणी नहीं की गई। इसका नवीकरण 3 जुलाई तक किया गया। दिनांक 1 से 3 अगस्त, 2016 तक कतार एयरवेज के ऑडिटरों द्वारा मुंबई स्टेशन का रिन्यूवल ऑडिट किया गया तथा 13 अक्तूबर, 2018 तक नवीकरण किया गया है। इसी तरह, चेन्नै स्टेशन रजिस्ट्री 18 जून, 2017 तक वैध है ।

आयटा प्रचालनात्मक सुरक्षा ऑडिट (आईओएसए)

मैसर्स क्वाली ऑडिट, फ्रांस (ऑडिटिंग संगठन) द्वारा (7 से 11 सितम्बर, 2015 तक) आयोसा रिन्यूवल ऑडिट किए जाने के पश्चात एअर इंडिया की आयोसा रजिस्ट्री 16 जनवरी, 2018 तक बढ़ा दी गई ।

8. सूचना प्रौद्योगिकी

लॉस्ट एंड फाउंड बैगेज पोर्टल

यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए फरवरी, 2016 में एक पोर्टल लांच किया गया। इस पर स्टेशनों पर पाए गए 'बिना दावा' किए गए सामानों का विवरण अपलोड किया जाता है जिसमें यात्री अपने खोए हुए बैगेज की खोज एअर इंडिया वेबसाइट पर एक लिंक के माध्यम से कर सकते हैं ।

लंदन में सेल्फ सर्विसिंग सुविधा

टी–4, हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन के यात्रियों के लिए सेल्फ सर्विसिंग सुविधाओं के हिस्से के रूप में कियॉस्क (kiosk) एप्लिकेशन को नए सॉफ्टवेयर आईचेक (icheck) एप्लिकेशन से बदल दिया गया। यह स्वयं बैग टैग की प्रिंटिंग की सुविधा देता है ।

हज 2015

हज 2015 को विभिन्न भारतीय स्टेशनों तथा जेद्दाह और मदीना से हैंडल किया गया। भारत में नौ स्टेशनों से एनएएस एयर के लिए थर्ड पार्टी एसडीसीएस की हैंडलिंग प्रदान की गई। हज वेबसाइट से हज यात्रियों का डाटा स्वचालित रूप से डाउन लोड करने एवं एअर इंडिया की डीसीएस सिस्टम अपलोड करने की उपयोगी पद्धति विकसित की गई। सभी स्टेशनों पर स्वचालित (automated) सामान टैग सुविधा प्रदान की गई तथा एपीपी और एपीआईएस जेनेरशन भी स्वचालित किया गया ।

साइबर सुरक्षा

एअर इंडिया में साइबर सुरक्षा की आधारभूत संरचना, राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना संरक्षण केंद्र के अनुसार निर्धारित रूपरेखा के अनुसार कार्यान्वित की गई जिसकी निगरानी एवं प्रबंधन गठित समिति द्वारा किया जाएगा । एअर इंडिया के लिए एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी नामित किया गया। किसी भी तरह की सुरक्षा घटनाओं का आकलन करने, उसमें कमी लाने तथा नीति कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी करने के लिए समितियों का गठन किया गया । संगठन को, आवश्यक साइबर हाइजिन के लिए विभिन्न स्तर पर भी संवेदनशील बनाया गया है ।

धोखाधड़ी रोकथाम

टिकटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आरक्षण/प्रस्थान नियंत्रण प्रणाली में कई संवर्धन/ संशोधन किए गए हैं । धोखाधड़ी रोकथाम के लिए एफएफपी एप्लिकेशन में सुरक्षित पहुंच पर नियंत्रण के लिए उन्नत सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित किया गया है ।

टी2 टर्मिनल, मुंबई एकीकृत प्रचालन

1 अक्तूबर, 2015 से एकीकृत उड़ान संचालन की सुविधा के लिए आईटी और संचार अवसंरचना टी2, मुंबई एयरपोर्ट में स्थापित की गई थी ।

9. मानव संसाधन

कर्मचारी संख्या

31 मार्च, 2016 को कर्मचारियों की संख्या 19285 है।

दीर्घकालीन सेवा स्मृति–चिह्न

प्रतिवर्ष दिनांक 27 अगस्त को कंपनी में 25 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले सभी कर्मचारियों को दीर्घकालीन सेवा स्मृति–चिह्न यानि एक कलाई–घड़ी तथा प्रमाण–पत्र भेंट किया जाता है। तदनुसार, इस वर्ष 27 अगस्त, 2015 को दीर्घकालीन सेवा स्मृति–चिह्न प्रदान किए जाने का समारोह क्षेत्रवार आयोजित किया गया तथा उसमें 1748 कर्मचारियों, को स्मृति–चिह्न प्रदान किए गए।

10. खेल–कूद

क्रिकेट

एअर इंडिया क्रिकेट टीम मई, 2015 में आयोजित इंटर कारपोरेशन शील्ड, दिसंबर, 2015 में शेगांव में आयोजित ऑल इंडिया टी–20 टूर्नामेंट, पटना में आयोजित सुनयना वर्मा टूर्नामेंट तथा दिल्ली में आयोजित साहिबजादा अजीत सिंह टूर्नामेंट में विजेता रही। जुलाई, 2015 के दौरान इंडिया ए बनाम आस्ट्रेलिया ए तथा भारत ए बनाम बांग्लादेश में खेलने के लिए श्री नमन ओझा का चयन किया गया। अगस्त, 2015 में श्रीलंका के विरुद्ध खेलने के लिए भारतीय टेस्ट टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी उनका चयन किया गया ।भारत ने यह श्रृंखला जीत ली ।

हॉकी

दोहा में आयोजित कतर इंडोर हॉकी टूर्नामेंट, अगस्त, 2015 में मुंबई में आयोजित गुरू तेग बहादुर हॉकी टूर्नामेंट तथा सितंबर–अक्तूबर, 2015 में बेंगलूरू कप में एअर इंडिया की हॉकी टीम ने विजय हासिल की। हॉकी इंडिया द्वारा श्री अर्जुन हल्लप्पा को वरिष्ठ भारतीय टीम के चयनकर्त्ता के रूप में नियुक्त किया गया। हॉकी इंडिया द्वारा श्री समीर दाद का चयन जूनियर भारतीय कोच के रूप में किया गया।

फुटबॉल

अक्तूबर, 2015 से मार्च, 2016 तक मुंबई में आयोजित एमडीएफए सुपर डिवीजन लीग में एअर इंडिया की फुटबॉल टीम विजयी रही ।

कबड्डी

एअर इंडिया कबड्डी टीम अप्रैल, 2015 में यवतमाल में आयोजित 7वां डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप, अक्तूबर–नवंबर, 2015 में मुंबई में आयोजित मुंबई डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, फरवरी, 2016 में आयोजित ठाणे मेयर कप, मार्च, 2016 में आयोजित मुंबई मेयर कप तथा मार्च, 2016 में मुंबई में आयोजित राज्यस्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप–गजानन क्रीडा मंडल में विजेता रही ।

बैडमिंटन

वर्ष, 2015–16 के दौरान कोचीन, देहरादून, हैदराबाद, काकीनाड़ा, पुणे में आयोजित जूनियर ऑल इंडिया मेजर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में एअर इंडिया बैडमिंटन टीम ने बहुत सारे स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते।

कोचीन, बरेली और बलसाड़ में आयोजित ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते ।

बेंगलूरू में आयोजित ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में 01 स्वर्ण, 02 रजत, 01 कांस्य पदक जीते ।

गुंटूर में आयोजित सेंट्रल ज़ोन में 01 स्वर्ण और 01 रजत पदक जीते ।

जयपुर में आयोजित जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 02 स्वर्ण, 01 रजत, 06 कांस्य पदक जीते ।

टाटा ओपन इंटरनेशनल, मुंबई में 02 स्वर्ण और 01 रजत पदक जीते

चंडीगढ़ में आयोजित सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में 01 स्वर्ण और 05 कांस्य पदक जीते ।

टेबल टेनिस

एअर इंडिया टेबल टेनिस टीम अक्तूबर, 2015 में पुणे में आयोजित 46वीं इंटर डिस्ट्रिक्ट और 77वां महाराष्ट्र स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में विजेता रही ।

कैरम

एअर इंडिया कैरम टीम अगस्त, 2015 को मुंबई में आयोजित इंटर इंस्टीट्यूशनल टूर्नामेंट में विजयी रही।

टेनिस

एअर इंडिया के टेनिस खिलाड़ियों ने अप्रैल, 2016 में, बॉम्बे जिमखाना में खेले गए बॉम्बे जिमखाना बायोस्टैड अकबरअलीस कप कॉरपोरेट टेनिस टूर्नामेंट, 2016 में विजय हासिल की।

11. जन शिकायतें

वर्ष 2015–16 के दौरान 1,408 जन शिकायत मामले प्राप्त हुए। इनमें से 1,173 मामलों को 2015–16 में निपटा दिया गया ।

12. सांविधिक अनुपालन

एअर इंडिया की पांच सहायक कंपनियां हैं। इस वार्षिक रिपोर्ट में इन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को सम्मिलित किया गया है। उनके निष्पादन का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है :–

12.1 एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईएटीएसएल) :

(रुपए मिलियन में)

विवरण	2015–16	2014–15
एअर इंडिया का इक्विटी में निवेश	**1,384.24**	0.5
कुल आय	**6,369.01**	6,470.12
कर पश्चात् लाभ / (हानि)	**1,014.07**	906.82

एआईएटीएसएल वर्तमान में 65 एयरपोर्टों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है। एअर इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों की उड़ानों की हैंडलिंग के अतिरिक्त, 24 विदेशी एयरलाइनों, 4 घरेलू अनुसूचित एयरलाइनों, 03 क्षेत्रीय एयरलाइनों, 16 सीज़नल एयरलाइनों, 23 विदेशी एयरलाइन, जो नाशवान कार्गो हैंडलिंग के काम आती हैं, को

भी ग्राउंड हैंडलिंग उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष के दौरान एअर इंडिया तथा उसकी सहायक कंपनियों तथा अनुसूचित और गैर–अनुसूचित ग्राहक एयरलाइनों को कुल मिलाकर लगभग 1,19,218 उड़ानों को ग्राउंड हैंडलिंग उपलब्ध कराई गई।

आने वाले वर्षों में एआईएटीएसएल की वित्तीय स्थिति के साथ साथ प्रचालनों में और अधिक वृद्धि जारी रहेगी। लाभ का अधिकांश हिस्सा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की हैंडलिंग से प्राप्त होता है। इस प्रकार से विदेशी प्रापण के लिए कंपनी को विदेशी मुद्रा उपलब्ध होगी साथ ही, विदेशी विनिमय के कारण राजस्व भी प्राप्त होगा। एआईएटीएसएल को पैन इंडिया प्रेजेंस के साथ देश में मार्केट लीडर बनना है और इसे अपनी क्षमता के अनुरूप कुछ दूसरे देशों में उद्‌यम करने के योग्य बनना चाहिए जहां एअर इंडिया प्रचालन कर रही है।

12.2 एअर इंडिया चार्टर्स़ लिमिटेड (एआईसीएल) :

(रुपए मिलियन में)

विवरण	2015–16	2014–15
एअर इंडिया का इक्विटी में निवेश	**7,800.0**	7,800.0
कुल आय	**29,179.57**	26,220.2
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	**3,616.82**	(610.38)

एआईसीएल 'एअर इंडिया एक्सप्रेस' के ब्राण्ड नाम से कम किराए की एयरलाइन का प्रचालन करती है । इसने लीज़ पर लिए गए 3 बी737–800 विमानों के साथ दिनांक 29 अप्रैल, 2005 को प्रचालन शुरू किया और आरंभ में केरल के 3 स्टेशनों से खाड़ी के 5 स्टेशनों के लिए प्रचालन शुरू किए गए। 31 मार्च 2016 को एआईसीएल के बेड़े में निजी स्वामित्व वाले 17 बी737–800 और 1 बी737–800 लीज़ पर लिया गया विमान है। यह 12 भारतीय और 13 विदेशी ऑन–लाइन स्टेशनों के लिए प्रचालन करती है।

वर्ष के दौरान एआईसीएल ने वर्ष, 2014–15 के 2.62 मिलियन रुपए की तुलना में वर्ष, 2015–16 के दौरान 2.80 मिलियन रुपए यात्रियों का वहन किया। एयरलाइन द्वारा ऑफर की गई क्षमता वर्ष, 2015–16 में 8,161 मिलियन रुपए की तुलना में 7% से बढ़कर 8,730 मिलियन रुपए हो गई है। अनुसूचित सेवा राजस्व में वर्ष 2014–15 के 26,164.60 मिलियन रुपए की तुलना में 29,097.80 मिलियन रुपए की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

कंपनी के वित्तीय निष्पादन के टर्न अराउंड का श्रेय परिसंपत्ति/संसाधनों का उपयोग, अधिक प्रचालनात्मक कुशलता, उच्च राजस्व, ठोस मांग और ईंधन दर में आई कमी को जाता है।

एअर इंडिया एक्सप्रेस ने ग्रीष्मकाल, 2014 में प्रचालित की गई 330 वन–वे उडानों /सप्ताह की तुलना में ग्रीष्मकाल, 2015 में 354 वन–वे उडानों/सप्ताह की शुरुआत की। ग्रीष्मकाल, 2015 में विमानों की प्रभावी उपयोगिता के साथ ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए समयसारिणी को और सुविधाजनक बनाया गया। 28 मार्च, 2016 से कोषिक्कोड से प्रति सप्ताह 04 उड़ानों के साथ एक नए गंतव्य रस–अल–खैमाह की शुरुआत की गई । यह उड़ान अल इन के साथ साझा की गई, जिससे कि उड़ानों की बांरबारता में वृद्धि हुई और प्रति सप्ताह एक उड़ान की जगह 04 उड़ानें कर दी गई। वर्ष, 2014–15 के 610.38 मिलियन रुपए की हानि की तुलना में कंपनी को वर्ष 2015–16 में 3,616.82 मिलियन रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ।

12.3 एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल) :

(रुपए मिलियन में)

विवरण	2015–16	2014–15
एअर इंडिया का इक्विटी में निवेश	**1,666.66**	0.5
कुल आय	**6,202.71**	1,420.05
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	**(5,586.20)**	(2,425.67)

एआईईएसएल वर्तमान में एअर इंडिया लि., तथा उसकी सहायक कंपनियों अर्थात एअर इंडिया चार्टस लि., एवं एयरलाइंस आलइड सर्विसेज लि. के 135 विमान बेड़े तथा कुछ थर्ड पार्टी एयरलाइनों को एमआरओ सेवाएं उपलब्ध करा रही है। इस सुविधा से 05 घंटों की उड़ान की दूरी के भीतर आने वाली सभी एयरलाइनों तथा विमान को एमआरओ की सेवाएं उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

कंपनी समुद्रपार भी अपने पदचिन्ह स्थापित करने की योजना बना रही है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में एआईईएसएल शारजाह, यूएई में पहली समुद्रपार शाखा स्थापित करने की प्रक्रिया में है। अनुभव तथा लागत लाभ के विश्लेषण की मदद के आधार पर दूसरे अंतरराष्ट्रीय स्टेशनों पर भी अवसर की संभावना की तलाश की जाएगी ।

12.4 एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड:

(रुपए मिलियन में)

विवरण	2015–16	2014–15
एअर इंडिया का इक्विटी में निवेश	**4,022.50**	22.50
कुल आय	**2,738.58**	2,279.52
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	**(1987.50)**	(1,839.21)

कंपनी एलाइंस एयर ब्रांड के अंतर्गत प्रचालित करती है।

31 मार्च, 2016 के अनुसार कंपनी के लीज़ पर लिए गए बेड़े में 03 एटीआर –42–320, 05 एटीआर–72–600, तथा 03 सीआरजे–700 विमान हैं। इस प्रकार वर्ष के अंत तक कंपनी के नेटवर्क में देश के 29 स्टेशन शामिल हैं। वर्तमान में यह प्रति सप्ताह 196 उड़ानें प्रचालित करती है। 31 मार्च, 2016 तक कंपनी की कर्मचारी संख्या 455 थी जिसमें मूल कंपनी के प्रतिनियुक्ति पर आए 14 कर्मचारी भी शामिल हैं।

एलाइंस एयर ने पूर्वोत्तर परिषद के साथ हुए एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में हवाई सेवाएं प्रचालित की। यह लक्ष्यदीप प्रशासन द्वारा व्यावहारिकता अंतरकोष अनुदान का वचन दिए जाने के पश्चात अगाती तथा महाद्वीप के बीच उड़ानें प्रचालित करती है। इसके अतिरिक्त यह 21 जुलाई, 2014 से अंडमान और निकोबार प्रशासन की ओर से पोर्टब्लेयर /कार निकोबार/पोर्टब्लेयर के बीच चार्टर प्रचालित करती है।

12.5 भारतीय होटल निगम लिमिटेड (एचसीआई) :

(रुपए मिलियन में)

विवरण	2015–16	2014–15
एअर इंडिया का इक्विटी में निवेश	**626.00**	506.00
सरकार का इक्विटी में निवेश	**220.00**	100.00
कुल आय	**475.12**	528.58
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	**(577.56)**	(504.59)

शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, मुम्बई

यूनिट ने गत वर्ष के 100.13 मिलियन रुपए की तुलना में 111.26 मिलियन रुपए का राजस्व अर्जित किया। व्यय, गत वर्ष हुए 209.39 मिलियन रुपए से घटकर 204.80 मिलियन रुपए हो गया। यूनिट को गत वर्ष के 154.98 मिलियन रुपए की तुलना में 144.64 मिलियन रुपए की निवल हानि हुई।

सेंटॉर लेक व्यू होटल, श्रीनगर

यूनिट ने गत वर्ष के 88.81 मिलियन रुपए की तुलना में 93.74 मिलियन रुपए का राजस्व अर्जित किया। व्यय पिछले वर्ष के 145.33 मिलियन रुपए से बढ़कर 149.04 मिलियन रुपए हो गया। यूनिट को पिछले वर्ष के 80.67 मिलियन रुपए की तुलना में 88.15 मिलियन रुपए की निवल हानि हुई।

सेंटॉर होटल, दिल्ली और शैफेयर, दिल्ली

वर्ष के दौरान सेंटॉर होटल, दिल्ली को पिछले वर्ष 211.85 मिलियन रुपए की तुलना में 239.23 मिलियन रुपए तथा शैफेयर फ्लाइट केटरिंग, दिल्ली को 2014–15 में 73.07 मिलियन रुपए की तुलना में 118.04 मिलियन रुपए की निवल हानि हुई।

टी3 लाउंज, दिल्ली

यूनिट ने जनवरी 2013 में कार्य आरंभ किया और वर्ष 2014–15 के दौरान 69.06 मिलियन रुपए की तुलना में 48.66 मिलियन रुपए का राजस्व अर्जित किया। यूनिट को वर्ष 2014–15 के दौरान 25.76 मिलियन रुपयों की तुलना में 13.50 मिलियन रुपए का प्रचालन लाभ हुआ तथा मूल्यह्रास का प्रावधान और पिछले वर्ष के समायोजन के पश्चात गत वर्ष के 31.45 मिलियन रुपयों की तुलना में वर्ष के लिए 13.22 मिलियन रुपए का निवल लाभ हुआ।

13. जोखिम कम करने की नीतियां

कंपनी द्वारा जोखिम की आशंकाओं की निरंतर मॉनीटरिंग की गई तथा विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए निवारक कदम उठाए गए ।

14. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां

कंपनी अपने आकार एवं कार्य की प्रकृति के अनुरूप उचित एवं पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां एवं कार्य विधियां सुनिश्चित कर रही है। ये नियंत्रण प्रणालियां सुनिश्चित करती हैं कि सभी परिसंपतियां अप्राधिकृत उपयोग से होने वाली हानि से सुरक्षित एवं संरक्षित हैं तथा कार्य व्यापार प्राधिकृत है एवं सही रूप में रिकार्ड एवं रिपोर्ट किए जा रहे हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली दस्तावेज़ी नीतियों, दिशानिर्देशों, प्राधिकरण एवं अनुमोदन प्रक्रियाओं को सक्षम बनाती है। इस संबंध में लेखा परीक्षकों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों के समाधान हेतु आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं।

कंपनी में आंतरिक नियंत्रणों की एक व्यापक व्यवस्था है जो संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग एवं सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा, वित्तीय लेन–देन की परिशुद्ध रिर्पोटिंग तथा लागू नियमों एवं विनियमों के साथ ही आंतरिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं का भी अनुपालन सुनिश्चित करती है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ ही व्यापक आंतरिक लेखा परीक्षा, प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से समीक्षा तथा लिखित नीतियों एवं दिशानिर्देशों को भी पूरक रूप में कार्यान्वित किया जाता है ताकि वित्तीय विवरण एवं अन्य आंकड़े तैयार करते समय वित्तीय एवं अन्य रिकार्डों की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके ।

कंपनी में प्राधिकार एवं प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन पर एक सुपरिभाषित मैनुअल है जिनके आधार पर प्राधिकारी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। संगठन की आवश्यकताओं को देखते हुए परिवर्तनों के साथ समायोजन करने के लिए इस मैनुअल की समय–समय पर समीक्षा की जाती है। उक्त मैनुअल कंपनी के प्रमुख कार्यात्मक प्रक्रिया मैनुअलों के साथ संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाता है। कंपनी में सम्पूर्ण प्रचालनों एवं सेवाओं को मॉनीटर करने के लिए एक स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली कार्य कर रही है जो नियमित आधार पर सभी स्थानों, बिज़नेस एवं कार्यो को मॉनीटर करती है। कंपनी ने अपने लागत स्तर को कम करने/मॉनीटर करने के उद्देश्य से अपने कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में बाहरी परामर्शदाताओं को भी नियुक्त किया है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड पर कंपनी की विचारधारा

एअर इंडिया लिमिटेड की निगमित विचारधारा निगमित शासन संहिता पर स्टेकधारकों को पारदर्शिता, पूर्ण खुलासा, कर्मचारियों का सशक्तिकरण तथा सामूहिक निर्णय लेने के माध्यम से निष्पक्षता सुनिश्चित कराती है।

2. निदेशक मंडल

कंपनी के अंतर्विनियमों के अनुसार निदेशकों की संख्या तीन से कम और पद्रंह से अधिक नहीं होनी चाहिए।

31 मार्च, 2016 के अनुसार निदेशक मण्डल

श्री अश्वनी लोहानी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एन.के.जैन	निदेशक(कार्मिक)
श्री पंकज श्रीवास्तव	निदेशक (वाणिज्य)
श्री विनोद हेजमाडी	निदेशक (वित्त)
सुश्री गार्गी कौल	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय
श्री बी.एस.भुल्लर	संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय
श्रीमती रेणुका रामनाथ	फाउंडर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी–मल्टीपल्स अलटरनेट ऐसेट मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड
श्री रविन्द्र एच.ढोलकिया	प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद
श्री प्रेम व्रत	सम कुलाधिपति एवं प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस, आईटीएम विश्वविद्यालय, गुड़गांव
श्री गुरचरण दास	सेवानिवृत्त अध्यक्ष, प्रोक्टर एंड गैंबल
एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) के के नोहवार	सेवानिवृत्त एयर मार्शल, भारतीय वायु सेना

श्री रोहित नंदन की दिनांक 31 अगस्त, 2015 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में सेवाएं समाप्त हो गई हैं।

श्री एस.वेंकट की दिनांक 31.10.2015 से निदेशक (वित्त) के रुप में सेवाएं समाप्त हो गई है।

कंपनी के निदेशक मंडल में श्री रोहित नंदन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं श्री एस वेंकट द्वारा निदेशक के रूप में दी गई महत्त्वपूर्ण सेवाओं की बोर्ड द्वारा सराहना की गई।

वर्ष के दौरान बोर्ड एवं शेयरधारकों की सारी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई।

स्वतंत्र निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अतंर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार, वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की पहली और दूसरी बैठकें क्रमशः 23 मई, 2014 और 28 जनवरी, 2015 को आयोजित की गईं, जिनमें स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी, प्रबंध वर्ग और बोर्ड की ड्यूटियों के प्रभावशाली और यथोचित निष्पादन के लिए उनके बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समय सीमा के मूल्यांकन हेतु विविध मानदण्डों की समीक्षा की।

3. निदेशक मंडल की बैठक, वार्षिक आम बैठक, निदेशकों की उपस्थिति, डायरेक्टरशिप तथा निदेशकों के समिति पदों का ब्योरा निम्नानुसार है:

निदेशक मंडल की बैठकें :

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की सात बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गईं:

क.सं.	बैठक की तारीख	बोर्ड संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	11 मई, 2015	11	10
2.	11 अगस्त, 2015	11	10
3.	28 सितंबर, 2015	11	11
4.	29 अक्तूबर, 2015	11	9
5.	23 नवंबर, 2015	11	10
6.	04 मार्च, 2016	11	8
7.	29 मार्च, 2016	11	9

निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों व कंपनी के वरिष्ठ प्रबंध वर्ग हेतु आचार संहिता अपनाई गई है तथा इसे कंपनी की वेबसाइट पर डाला गया है। संगठन में बोर्ड के सदस्यों एवं कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए निगमित प्रबंधन के अनुपालन को सुनिश्चित करने की व्यवस्था मौजूद है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित अनुपालन की घोषणा इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड/शेयरधारकों की बैठकों में निदेशकों का विवरण एवं उनकी उपस्थिति का ब्योरा इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	शैक्षिणक योग्यता	वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 7 बैठकों में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशिप का विवरण	समितियों में सदस्यता
पूर्णकालिक निदेशक श्री रोहित नन्दन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.08.2015 तक)	इतिहास में स्नातकोत्तर व यू.के. से एमबीए	2	**अंशकालिक अध्यक्ष** एअर इंडिया चार्टर्स लि. एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लि. एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लि. एयरलाइन एलाइड सर्विसेज़ लि. भारतीय होटल निगम लि. एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज़ प्रा.लि. **निदेशक** एयर मॉरीशस लि0. एयर मॉरीशस होल्डिंग्स लि0	**अध्यक्ष** वित्त समिति मा.सं.समिति स्ट्रैटेजिक समिति **सदस्य** निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थायित्व समिति नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति लेखा परीक्षा समिति– भारतीय होटल निगम लि0 लेखा परीक्षा समिति– एअर इंडिया चार्टर्स लि0 **स्थायी रुप से आमंत्रित** लेखा परीक्षा समिति

निदेशक का नाम	शैक्षिणक योग्यता	वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 7 बैठकों में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशिप का विवरण	समितियों में सदस्यता
श्री अश्वनी लोहानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.08.2015 से)	मैकेनिकल इंजीनियरिंग व फेलो, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट	5	**अंशकालिक अध्यक्ष** एअर इंडिया चार्टर्स लि. एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लि. एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लि. एयरलाइन एलाइड सर्विसेज़ लि. भारतीय होटल निगम लि. एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज़ प्रा.लि. **निदेशक** एयर मॉरीशस लि0. एयर मॉरीशस होल्डिंग्स लि0	**अध्यक्ष** वित्त समिति मा.सं.समिति स्ट्रैटेजिक समिति **सदस्य** निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थायित्व समिति नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति लेखा परीक्षा समिति– भारतीय होटल निगम लि0 एअर इंडिया चार्टर्स लि0 लेखा परीक्षा समिति एवं सीएसआर समिति– एआईएटीएसएल **स्थायी रूप से आमंत्रित** लेखा परीक्षा समिति–एआईएल एएएसएल तथा एआईईएसएल
श्री एस.वेंकट निदेशक (वित्त) (31.10.2015 तक)	बी कॉम, एफसीए, एफसीएमए, एफसीएस, सीपीए(यूएस), सीजीएमए (यूएस)	4	**निदेशक** एअर इंडिया चार्टर्स लि. एयरलाइन एलाइड सर्विसेज़ लि. भारतीय होटल निगम लि. एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लि0 एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लि0 एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज़ प्रा0 लि.	**सदस्य** वित्त समिति, एअर इंडिया लि. लेखा परीक्षा समिति, एआईसीएल, एआईएटीएसएल, एएएसएल, एचसीआई, एआईईएसएल **सहयोजित सदस्य** स्ट्रैटेजिक समिति, एइंलि **विशेष आमंत्रित** लेखा परीक्षा समिति,एइंलि **अध्यक्ष** लेखा परीक्षा समिति, भारतीय होटल निगम लि.
श्री विनोद हेजमाडी (01.11.2015 से)	बी कॉम,एसीए	3	**निदेशक** एअर इंडिया चार्टर्स लि. एयरलाइन एलाइड सर्विसेज़ लि. भारतीय होटल निगम लि. एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लि0 एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लि0 एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज़ प्रा0 लि.	**सदस्य** वित्त समिति, एअर इंडिया लि0 लेखा परीक्षा समिति, एअर इंडिया चार्टर्स लि0. एवं एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लि0, एएएसएल, एचसीआई, एआईईएसएल **सहयोजित सदस्य** स्ट्रैटेजिक समिति, एअर इंडिया लि0 **विशेष आमंत्रित** लेखा परीक्षा समिति **अध्यक्ष** लेखा परीक्षा समिति, भारतीय होटल निगम लि.

निदेशक का नाम	शैक्षिणक योग्यता	वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 7 बैठकों में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशिप का विवरण	समितियों में सदस्यता
श्री एन.के.जैन निदेशक (कार्मिक)	बी.टेक, आईआईटी, रुड़की, एलएलबी, आईआरपीएस	7	कोई नहीं	**सदस्य** मानव संसाधन समिति निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थायित्व समिति
श्री पंकज श्रीवास्तव निदेशक (वाणिज्य)	एमबीए	7	**निदेशक** एयरलाइन एलाइड सर्विसेज़ लि.	**सहयोजित सदस्य** स्ट्रैटेजिक समिति
गैर कार्यपालक निदेशक (पदेन)				
सुश्री गार्गी कौल, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय (06.05.2015 से)	स्नातकोत्तर	7	**निदेशक** एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0 एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लि0., भारतीय होटल निगम लि.	**सदस्य** लेखा परीक्षा समिति,एइंलि. स्ट्रैटेजिक समिति,एइंलि. वित्त समिति,एइंलि. निगमित सामाजिक दायित्व समिति, एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लि0 **अध्यक्ष** लेखा परीक्षा समिति एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लि0, एआईईएसएल, एचसीआई
श्री बी.एस.भुल्लर, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर	6	**निदेशक** एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि., एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लि., भारतीय होटल निगम लि.	**सदस्य** मा.सं. समिति स्ट्रैटेजिक समिति नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, सीएसआर समिति, एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लि0 लेखा परीक्षा समिति–एआईईएसएल

निदेशक का नाम	शैक्षिणक योग्यता	वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 7 बैठकों में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशिप का विवरण	समितियों में सदस्यता
गैर कार्यपालक निदेशक–स्वतंत्र				
श्रीमती रेणुका रामनाथ	बीई–वीजेटीआई, एमबीए, एएमपी– हारवर्ड बिजनेस स्कूल	1	**निदेशक** मल्टीपल्स ऑल्टरनेट अस्सेट मैनेजमेंट प्रा0 लि0 मल्टीपल्स इक्विटी फंड ट्रस्टी प्रा0 लि0 श्री नाथ जी कॉरपोरेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा0 लि0 अरविन्द लि0 इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि0 मोगा मीडिया प्रा0 लि0 पीवीआर लिमिटेड बी2आर टेक्नोलॉजीज़ प्रा0 लि0 विक्रम हॉस्पीटल (बेंगलूरू) प्रा0 लि0 भारतीय महिला बैंक लि0	**अध्यक्ष** लेखा परीक्षा समिति **सदस्य** स्ट्रैटेजिक समिति वित्त समिति
श्री रविन्द्र एच ढोलकिया	पोस्ट डॉक्टरल फेलो (टोरंटो), पीएचडी (एमएसयू, वडोदरा)	6	**निदेशक** ए.ई लि0 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	**अध्यक्ष** नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति **सदस्य** मानव संसाधन समिति स्ट्रैटेजिक समिति **सदस्य** लेखा परीक्षा समिति एई लिमिटेड लेखा परीक्षा समिति–एसटीसी लि0
श्री प्रेम व्रत	मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक (ऑनर्स), आईआई टी–खड़गपुर, एम.टेक (औद्योगिक) इंजीनियरिंग एवं ऑपरेशन्स रिसर्च), पीएचडी, आईआईटी–दिल्ली	7	कोई नहीं	**सदस्य** लेखा परीक्षा समिति स्ट्रैटेजिक समिति वित्त समिति नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निदेशक का नाम	शैक्षिणक योग्यता	वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 7 बैठकों में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशिप का विवरण	समितियों में सदस्यता
श्री गुरचरण दास	हारवर्ड विश्वविद्यालय, एएमडी हारवर्ड बिजनेस स्कूल से ऑनर्स में स्नातक	5	**निदेशक** बिरला सन लाइफ ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि0 गुरचरण दास कन्सलटेंट्स प्रा0 लि0 गैर कार्यपालक अध्यक्ष डीएमआई फाइनेंस प्रा0 लि0	**सदस्य** स्ट्रैटेजिक समिति **सदस्य** पारिश्रमिक समिति फोर्टिस हैल्थ केयर लि0 **लेखा परीक्षा समिति,** जिलेट इंडिया लि0
एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) के के नोहवार	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक	7	कोई नहीं	**अध्यक्ष** निगमित सामाजिक दायित्व एवं स्थाई समिति **सदस्य** मानव संसाधन समिति स्ट्रैटेजिक समिति

4. बोर्ड समितियां

लेखा परीक्षा समिति

निगमित प्रबंधन के लिए तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और डीपीई दिशा निर्देशों के अनुपालन में कंपनी ने नवम्बर 2007 में निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति गठित की।

31 मार्च, 2016 को लेखापरीक्षा समिति के निम्नलिखित सदस्य थे :

श्रीमती रेणुका रामनाथ	अध्यक्ष
सुश्री गार्गी कौल	सदस्य
प्रो. प्रेम व्रत	सदस्य
निदेशक–वित्त	विशेष आमंत्रित
का. निदेशक–आंतरिक लेखा परीक्षा	विशेष आमंत्रित
श्री अश्वनी लोहानी	स्थायी रूप से आमंत्रित

लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं :

- कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रामिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना;
- लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य–निष्पादन तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और मॉनीटर करना;

- आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करना तथा आंतरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के साथ–साथ यह पता लगाना कि क्या आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य एयरलाइन्स व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है;
- लेखा परीक्षा आरंभ होने से पूर्व लेखा परीक्षा की प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र के बारे में लेखा परीक्षक के साथ विचार–विमर्श करना तथा जब एक से अधिक लेखा परीक्षा फर्म सम्मिलित हों तो उनमें समन्वयन सुनिश्चित करना;
- वित्तीय विवरणियों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना;
- सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करना तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की सिफारिशों को लागू करने के लिए कदम उठाना;
- संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेन–देनों का अनुमोदन और कोई अनुवर्ती संशोधन;
- अंतर–निगमित ऋणों और निवेशों की संवीक्षा;
- जहां कहीं आवश्यक हो, उपक्रमों अथवा कंपनी की परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करना;
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना;
- पब्लिक ऑफर्स और संबद्ध तरीकों से जुटाई गई निधियों के पूर्ण उपयोग की मॉनिटरिंग करना;
- बोर्ड की इच्छानुसार किसी अन्य मामले पर विचार करना;

बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व अन्य बातों के साथ–साथ कंपनी के वार्षिक लेखों सहित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर दो बार बैठकें कीं:

1. 29 अक्तूबर, 2015 (20वीं बैठक)
2. 23 नवंबर, 2015 (21वीं बैठक)

लेखा परीक्षा बैठकों में उपस्थिति

सदस्य का नाम	बैठकों में उपस्थिति
श्रीमती रेणुका रामनाथ, अध्यक्ष	1
सुश्री गार्गी कौल, सदस्य	2
श्री प्रेम व्रत, सदस्य	2

वर्तमान में एअर इंडिया की पांच भारतीय सहायक कंपनियां हैं – एअर इंडिया चार्टर्स लि0, एयरलाइन एलाइड सर्विसेज़ लि0, एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लि0, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लि0. भारतीय होटल निगम लि.।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एवं स्थायी विकास समिति (एसडी)

बोर्ड ने समय–समय पर स्थायी विकास परियोजनाओं के अनुमोदन और समीक्षा के लिए दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी विकास समिति (एसडीसी) गठित की–दिनांक 31 मार्च, 2016 को समिति के सदस्य निम्नानुसार थे:

एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) के के नोहवार/
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक–
निदेशक (कार्मिक)

श्रीमती हेडे सिंह, निगमित गुणवत्ता, सुरक्षा एवं पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमुख–नोडल अधिकारी

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

एअर इंडिया के एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके पूर्ण कालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है और इसकी सलाह प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त की जाती है। अंशकालिक (पदेन) निदेशकों को कंपनी की ओर से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

गैर–सरकारी अंशकालिक(स्वंतत्र) निदेशकों को बोर्ड बैठकों और बोर्ड की उप समिति बैठकों में भाग लेने के लिए सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है।

एअर इंडिया में कंपनी के किसी भी निदेशक को लाभ पर कमीशन का भुगतान करने की पॉलिसी नहीं है।

बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों को पारिश्रामिक का भुगतान भी भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रामिक का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशकों के नाम	निदेशकों का पारिश्रमिक पैकेज अर्थात् वेतन, लाभ, बोनस, पेंशन, आदि सभी घटक				कुल
	वेतन एवं भत्ते	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	अन्य लाभ एवं परिलब्धियां	कार्य निष्पादन संबंधित वेतन	
श्री रोहित नन्दन (31.08.2015 तक)	7,91,576		8,250	कोई नहीं	7,99,826
श्री अश्वनी लोहानी (31.08.2015 से)	12,71,540		16,200	कोई नहीं	12,87,740
श्री एस.वेंकट (01.11.2015 तक)	33,09,672	1,00,996	23,303	कोई नहीं	33,32,975
श्री वी हेजमाडी (01.11.2015 से)	9,75,299	78,978	8,625	कोई नहीं	9,83,924
श्री एन.के.जैन	23,67,003	1,90,446	32,400	कोई नहीं	23,99,403
श्री पंकज श्रीवास्तव	27,66,382	1,82,028	75,084	कोई नहीं	28,41,466

सेवा संविदा: प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सम्प्रेषित नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार (अर्थात् पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अथवा अधिवर्षिता की तिथि तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो)।

कंपनी ने कोई भी स्टॉक ऑप्शन योजना आरंभ नहीं की है। किसी भी गैर–कार्यपालक अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक का कंपनी में कोई शेयर नहीं है।

वित्त वर्ष के दौरान, गैर–कार्यपालक (स्वतंत्र) निदेशकों ने बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए निम्नानुसार सिटिंग फीस प्राप्त की:

श्री रविन्द्र ढोलकिया	1,40,000/– रु.
श्री प्रेम व्रत	1,40,000/– रु.
श्री गुरुचरण दास	1,40,000/– रु.
एयर मार्शल (सेवा निवृत्त) के के नोहवार	1,60,000/– रु.
श्रीमती रेणुका रामनाथ	1,00,000/– रु.

6. गत तीन वर्षों में वार्षिक आम बैठकें

इन बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :

	बैठक की तिथि व समय	स्थान	बैठक में पारित विशेष संकल्प
छठी वार्षिक आम बैठक	27 दिसम्बर, 2012 को 1030 बजे	एयरलाइन्स हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली–110001	–
सातवीं वार्षिक आम बैठक	13 दिसम्बर, 2013 को 1030 बजे	एयरलाइन्स हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली–110001	–
आठवीं वार्षिक आम बैठक	29 दिसम्बर, 2014 को 1100 बजे	एयरलाइन्स हाउस, 113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली–110001	कंपनी के अधिकृत शेयर में 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ की बढ़ोत्तरी

मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. जिसका पता पन्नालाल सिल्क मिल्स कम्पाउंड, सी–13 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, सुभाष नगर, भान्डुप–पश्चिम, मुंबई–400078 है डिबेंचर्स के लिए रजिस्ट्रार्स हैं और कंपनी के ट्रांसफर एजेंट भी हैं। डिबेंचर ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ब्याज भुगतान से संबंधित सभी मामले ट्रांसफर एजेंटों द्वारा हैंडल किए जाते हैं।

7. आचार संहिता

''एअर इंडिया के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता'' बना दी गई है और इसे 31 मार्च, 2013 से प्रभावी किया गया है। इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया में और वृद्धि करना है। यह संहिता निम्नलिखित पर लागू की गई:

क) सभी पूर्णकालिक निदेशक

ख) कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी गैर–पूर्णकालिक निदेशक और

ग) वरिष्ठ प्रबंध वर्ग कार्मिक

सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध वर्ग कार्मिकों ने उनके द्वारा दिनांक 31 मार्च 2016 को हस्ताक्षर किया हुआ वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र दिया है।

8. सत्यनिष्ठा संधि

कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करने की प्रक्रिया में नैतिकता/पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दिनांक 8 फरवरी 2008 से सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) शुरु की है। यह सत्यनिष्ठा संधि अब कंपनी और 100 मिलियन और उससे अधिक राशि वाले वेंडरों/बिडर द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले टेंडर दस्तावेजों का भाग (हिस्सा) बन चुकी है।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन

एअर इंडिया लिमिटेड, बड़े सार्वजनिक इंटरफेस वाले एक पीएसयू संगठन के रूप में नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का सफलतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की अपेक्षा के अनुसार, सूचना को जन सामान्य के लिए वेबसाइट पर दर्शाया जाता है। एअर इंडिया ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुए आवेदनों/अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए दिनांक 9 जनवरी, 2015 से इसके ढांचे को विकेन्द्रीकृत कर दिया है। वर्तमान में एअर इंडिया ने आवेदनों/अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए 78 केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) बाहरी स्टेशनों पर 73 केन्द्रीय सहायक जनसूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) तथा 23 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) नियुक्त किए हैं।

वर्ष 2015–16 के दौरान अनुरोध के 1077 मामले और 152 अपीलें प्राप्त हुईं। 152 अपीलों में 147 अपीलों का निपटान अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कर दिया गया।

आचार संहिता

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गई आचार संहिता का बोर्ड के सभी सदस्यों व वरिष्ठ प्रबंध वर्ग द्वारा अनुपालन किए जाने की पुष्टि की गई है।

ह0/–
(अश्वनी लोहानी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एअर इंडिया लिमिटेड

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 31 जुलाई 2016

1 जनवरी, 2016 तक सेवारत दिव्यांगों के प्रतिनिधित्व संबंधी वार्षिक विवरणी वर्ष 2015 के कैलेंडर वर्ष के दौरान नियुक्ति/पदोन्नति

नाम : एअर इंडिया लिमिटेड

समूह	1.1.2016 को कर्मचारियों की संख्या					सीधी भर्ती 2015	पदोन्नति 2015
	कुल	निर्धारित पद	वीएच	एचएच	ओएच		
1	2	3	4	5	6	7	8
"क"	10229	296	5	1	38	कोई नहीं	36
"ख"	4459	–	6	3	16	कोई नहीं	8
"ग"	307	32	–	–	1	कोई नहीं	कोई नहीं
"घ"	4717	883	10	9	37	कोई नहीं	17
कुल	19712	1211	21	13	92	कोई नहीं	61

टिप्पणी

i. वीएच का अर्थ है दृष्टिगत अशक्तता (दृष्टिहीनता या न्यून दृष्टि से पीड़ित)
ii. एचएच का अर्थ है श्रवण अशक्तता (बहरेपन से पीडित व्यक्ति)
iii. ओएच का अर्थ है ओर्थोपैडिकली अशक्त (लोकोमोटर या अशक्तता सेरेब्रल पेलसी)

वर्ष 2015–16 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक
फॉर्म संख्या एमजीटी 9 – वार्षिक रिटर्न से उद्धरण
31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014
के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण:

1.	सीआईएन	यू62200डीएल2007जीओआई161431
2.	पंजीकरण की तारीख	30 मार्च, 2007
3.	कंपनी का नाम	एअर इंडिया लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	सरकारी कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	एयरलाइंस हाउस, 113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड नई दिल्ली – 110001
6	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	जी, नहीं
7.	पंजीकार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता और संपर्क विवरण	लागू नहीं

II. **कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां** (कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा उससे अधिक योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख करें)

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	यात्री, भोजन तथा माल के वहन एवं किसी अन्य प्रयोजन के लिए विश्व के सभी देशों में अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर्देशीय हवाई परिवहन सेवाओं की स्थापना, अनुरक्षण एवं प्रचालन करना ।	511	100

III. होल्डिंग, सहायक तथा संबद्ध कंपनी का विवरण:

क्र.सं	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन / जीआईएन	होल्डिंग / सहायक / सहभागी	शेयरों का %	लागू धारा
1	एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड 113, एयरलाइन्स हाउस, गुरूद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली नई दिल्ली–110001	यू62100एमएच1971जीओआई015328	सहायक कंपनी	100%	2(87)
2	एअर इंडिया एयर ट्रांसपोट सर्विसेज़ लिमिटेड	यू63090डीएल2003पीएलसी120790	सहायक कंपनी	100%	2(87)
3.	एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड	यू74210डीएल2004जीओआई125114	सहायक कंपनी	100%	2(87)
4.	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज़ लिमिटेड	यू51101डीएल1983जीओआई016518	सहायक कंपनी	100%	2(87)
5.	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	यू55101एमएच1971जीओआई015217	सहायक कंपनी	80%	2(87)
6.	एअर इंडिया सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	यू74900डीएल2010पीटीसी201763	संयुक्त उद्यम	50%	2(6)

IV. शेयर धारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा) :

श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2015 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2016 को)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	वर्ष के दौरान	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(क) वैयक्तिक/एचयूएफ									
(ख) केन्द्र सरकार		17178000000	4318000000	100		21496000000	21496000000	100	
(ग) राज्य सरकार									
(घ) निगमित निकाय									
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्था									
(च) अन्य कोई									
प्रवर्तक की कुल शेयर धारिता (क)		17178000000	4318000000	100		21496000000	21496000000	100	
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता	लागू नहीं								
1. संस्थाएं									
(क) म्यूचुअल फंड/यूटीआई									
(ख) बैंक/वित्तीय संस्था									
(ग) केन्द्र सरकार									
(घ) राज्य सरकार/सरकारें									
(ङ) वेंचर कैपिटल फंड									
(च) बीमा कंपनियां									
(छ) एफआईआई									
(ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड									
(झ) अन्य विदेशी बैंक (स्पष्ट करें)									
उप-जोड़ (ख) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2015 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2016 को)				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
2. गैर–संस्थाएं	लागू नहीं								
(क) निगमित निकाय (मार्केट मेकर + एलएलपी)									
i) भारतीय									
ii) विदेशी									
ख) वैयक्तिक									
i) 1 लाख रुपए तक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक									
ii) 1 लाख रुपए से अधिक अंकित शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक									
ग) अन्य (स्पष्ट करें)									
i) अनिवासी भारतीय									
ii) अनिवासी भारतीय – गैर प्रत्यावर्तित									
iii) पदधारक									
iv) निदेशक									
v) हिंदू अविभाजित परिवार									
vi) विदेशी निगमित निकाय									
vii) विदेशी नागरिक									
viii) क्लीयरिंग सदस्य									
ix) न्यास									
x) विदेशी निकाय – डी आर									
उप–जोड़ (ख) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)		17178000000	4318000000	100		21496000000	21496000000	100	

ख) प्रवर्तक की शेयरधारिता-

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी/रेहन रखे गए कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी/रेहन रखे गए कुल शेयरों का %	
1	भारत सरकार	17178000000	100	शून्य	21496000000	100	शून्य	

ग) प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है, तो कृपया स्पष्ट करें)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के आरंभ में				
	भारत सरकार	17178000000	100	17178000000	
	वर्ष के अंत में				
	भारत सरकार	21496000000	100	21496000000	

घ) पहले दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का पैटर्न : (निदेशक, प्रवर्तक तथा जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा):

क्र. सं.	पहले 10 शेयरधारको में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	लागू नहीं				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ङ) निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक तथा प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर		वर्ष के अंत में संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	श्री अश्वनी लोहानी	10	0	10	0
2	सुश्री गार्गी कौल	10	0	10	0
3	श्री बी. एस. भुल्लर	10	0	10	0
	कुल	30		30	

V. ऋणग्रस्तता – ब्याज बकाया/अर्जित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

(रुपए करोड़ में)

	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	24634.13	26732.94	0	51367.07
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	31.43	11.63	0	43.06
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	147.35	515.02	0	662.37
कुल (i+ii+iii)	24812.91	27259.59	0	52072.50
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* जोड़	1422.46	2762.68	0	4185.14
* कमी	1816.15	1850.37	0	3666.52
* पुनर्मूल्यांकन प्रभाव	100.50	825.59	0	926.09
निवल परिवर्तन	-293.18	1737.90	0	1444.72
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	24340.95	28470.84	0	52811.79
ii) भुगतान न किया गया देय ब्याज	25.27	9.74	0	35.01
iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	146.02	525.85	0	671.87
कुल (i+ii+iii)	24512.25	29006.43	0	53518.68

VI. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/या प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक :

(अंकों में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम						कुल राशि
		श्री रोहित नन्दन	श्री अश्वनी लोहानी	श्री एस.वेंकट	श्री विनोद हेजमाड़ी	श्री एन.के.जैन	श्री पंकज श्रीवास्तव	
1	सकल वेतन							
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	791,576	1,271,540	3,309,672	975,299	2,367,003	2,766,382	11,481,472
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	8,250	16,200	23,303	8,625	32,400	75,084	163,862
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ							
2	स्टॉक विकल्प							
3	स्वेट इक्विटी							
4	लाभ के प्रतिशत के रूप में कमीशन अन्य, उल्लेख करें							
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)							
	कुल **(क)**	**799,826**	**1,287,740**	**3,332,975**	**983,924**	**2,399,403**	**2,841,466**	**11,645,334**
	अधिनियम के अनुसार सीमा							

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	श्री रविन्द्र ढोलकिया	श्री प्रेम व्रत	श्री गुरचरण दास	एयर मार्शल (सेवा–निवृत्त) के.के. नोहवार	श्रीमती रेणुका रामनाथ	
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	140,000	140,000	140,000	160,000	100,000	680,000
	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें (बोर्ड उप–समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क)	-	-	-	-	-	-
	कुल (1)	-	-	-	-	-	-
2	अन्य गैर अधिशासी निदेशक	-	-	-	-	-	-
	बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-	-	-	-	-
	कुल (2)	-	-	-	-	-	-
	कुल (ख) = (1+ 2)	-	-	-	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

ग. **प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक**

(रुपए अंको में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		श्रीमती कल्पना राव			कुल
1	सकल वेतन		**	**	-
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	2,101,082	-	-	2,101,082
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	16,200			16,200
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अधीन वेतन के बदले में लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-
	लाभ के % के रूप में	-	-	-	-
	अन्य स्पष्ट करें	-	-	-	-
5	अन्य (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)	-	-	-	-
	कुल	**2,117,282**	-	-	**2,117,282**

* सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं। केवल मुख्य वित्त अधिकारी तथा कंपनी सचिव मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक हैं।

** कंपनी सचिव अपने दायित्वों के अलावा एअर इंडिया लिमिटेड में महाप्रबंधक–वित्त के दायित्वों का भी वहन कर रही हैं।

VII. **दंड/सजा/अपराधों की कंपाउंडिंग**

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड/सजा/लगाए गए कंपाउंडिंग जुर्माने का विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील, यदि की गई है (विवरण दें)
क. कंपनी					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ख. निदेशक					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-
ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी					
दंड	-	-	-	-	-
सजा	-	-	-	-	-
कंपाउंडिंग	-	-	-	-	-

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में
सभी सदस्य
एअर इंडिया लिमिटेड
एअरलाइन्स हाउस, 113,
गुरुद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली–110001

मैंने **एअर इंडिया लिमिटेड** (सीआईएनः यू62200डीएल2007जीओआई1161431) (इसके बाद 'कंपनी' के नाम से जानी जाएगी) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के पालन एवं उचित निगमित कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई है जिससे मुझे निगमित कार्यों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने एवं उस पर अपनी राय व्यक्त करने हेतु एक उचित आधार मिला ।

एअर इंडिया लिमिटेड की लेखा बहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फॉर्मों और फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे जा रहे दूसरे रिकार्डों तथा साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं मुझे दिए गए स्पष्टीकरण और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर मैं, एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि मेरे विचार में 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने एतद्धीन सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी के पास समुचित बोर्ड प्रक्रिया है एवं अनुपालन प्रणाली उस सीमा तक स्थापित है जैसा कि निम्नलिखित रिपोर्ट में है :–

क. मैंने मुझे उपलब्ध कराए गए निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखाबहियों, कागज़ातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों, फाइल किए गए रिटर्न तथा अन्य रिकार्डों की जांच की:

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अधीन बनाए गए नियम; निम्नलिखित के संबंध में समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन बनाए गए एवं यथालागू नियमों का अनुपालन किया है ।

क) **विजिल मैकेनिज्म की स्थापनाः**

कंपनी अधिनियम (बोर्ड बैठकें एवं उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के अनुसार कंपनी को उनके निदेशकों और कर्मचारियों को उनकी वास्तविक चिंताओं अथवा शिकायतों को रिपोर्ट करने के लिए एक विजिल मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है और जिन कंपनियों को लेखापरीक्षा समिति के गठन की आवश्यकता है वे लेखापरीक्षा समिति के माध्यम से विजिल मैकेनिज्म का कार्य करेंगी ।

कंपनी ने सूचित किया है कि उसके पास एक स्वतंत्र सतर्कता विभाग है जिसके प्रमुख भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी हैं।

एअर इंडिया के सतर्कता मैनुअल में इस उददेश्य के लिए नीतियां, संगठन का ढांचा और प्रक्रियाएं दी गई हैं।

निदेशक मंडल समय–समय पर सतर्कता विभाग के कार्यों की समीक्षा करता है।

(ख) **जोखिम प्रबंधन नीतिः**

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एन) में प्रावधान है कि कंपनी की साधारण सभा वित्तीय विवरण के साथ इसके निदेशक मंडल की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा–

जोखिम के तत्व, यदि कोई हो, की पहचान सहित कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन नीति के संबंध में विकास एवं कार्यान्वयन दर्शाते हुए एक विवरण जिससे बोर्ड के विचार में कंपनी के अस्तित्व को खतरा है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि ईंधन के लिए कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति है तथा जहां तक वाणिज्यिक जोखिम का प्रश्न है विमान तथा यात्रियों के बीमें के लिए विमानन तथा गैर विमानन पॉलिसियां ली गई हैं। इसके अलावा, कंपनी की एविएशन नीति के अंतर्गत कंपनी मृत्यु अथवा घायल होने पर कार्यालयी कार्य हेतु विदेश की यात्रा कर रहे अपने स्टाफ के लिए बीमा करवाती है जिसमें कंपनी के ऑपरेटिंग तथा केबिन क्रू को भी शामिल किया गया है।

अन्य जोखिमों के लिए कंपनी जोखिम प्रबंधन नीति को विकसित करने की प्रक्रिया में है। 14 सितम्बर, 2016 को आयोजित लेखा परीक्षा की बैठक में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर चर्चा की गई थी तथा इन रिपोर्टों में जोखिम प्रबंधन नीति के विकास के भाग के रूप में पहचान किए गए मैक्रो तथा माइक्रो जोखिमों को कम करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों को शामिल किया गया है।

डीपीई मार्गनिर्देशों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करे निगमित एवं प्रचालन उददेश्यों के साथ जोखिम प्रबंधन प्रणाली जुड़ी हो तथा यह भी कि जोखिम प्रबंधन को सामान्य कार्य का हिस्सा बनाया जाए ।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षा टिप्पणियों में कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रबंध वर्ग द्वारा निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है अतः उन्हें यह फिर से नहीं उद्धृत किया जा रहा है ।

(ii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों का बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तकः

कंपनी का कोई ओवरसीज डायरेक्ट इंवेस्टमेंट तथा फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट नहीं है

(iii) प्रतिभूतियां संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iv) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप नियम

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और मार्गनिर्देश कंपनी के लिए लागू हैं :

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम और लिस्टिंग) विनियम, 2008;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम के लिए रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;

समीक्षाधीन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान और मुझे दिए गए विवरण एवं स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के अनुसार, निम्नलिखित टिप्पणियों के अलावा कंपनी ने सामान्यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, मार्गनिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है।

ख. विमानन क्षेत्र में, कंपनी में विशेष रूप से लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया गया है :

- विमान अधिनियम, 1934
- विमान वहन अधिनियम, 1972
- टोकियो सम्मेलन अधिनियम, 1975
- यान हरण निवारण अधिनियम, 1982
- सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरूद्ध कार्यदमन अधिनियम, 1982
- नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी नागर विमानन संबंधी अपेक्षाएं

भारत में विमानन क्षेत्र के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) विनियामक प्राधिकरण है ।

विमानन विनियमों एवं मानकों के पालन को बढावा देने के लिए डीजीसीए ने विनियामक लेखा परीक्षा कार्यक्रम (आरएपी) विकसित किया है जो सामूहिक रूप से विमानन सुरक्षा के मान्य स्तर को निर्धारित करता है। उससे यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि नागर विमानन लेखापरीक्षा नीतियां तथा प्रक्रियाएं समान रूप से लागू हो ।

इसके अतिरिक्त, आयटा प्रति वर्ष आईओएसए प्रमाणन का कार्य करता है तथा अपने निष्कर्ष बताता है जिसे ठीक किया जाना अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त, एअर इंडिया में कार्यपालक निदेशक–उडान सुरक्षा है जो कंपनी की उडान सुरक्षा प्रचालन को लगातार मॉनीटर करते हैं ।

मैं आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी उपरोक्त विमानन कानूनों को लागू करने में सामान्यतः नियमित है तथा कंपनी द्वारा ऐसे विमानन कानूनों के अनुपालन का पुनरीक्षण इस लेखापरीक्षा में नहीं किया गया है चूंकि इनका पुनरीक्षण डीजीसीए तथा अन्य संबंधित प्रोफेशनल्स द्वारा किया जाना अपेक्षित है ।

ग. हमने निम्नलिखित लागू खंडों के पालन की परीक्षा भी की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक 01 जुलाई, 2015 से प्रभावी हैं।

(ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि., तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. के साथ कंपनी द्वारा किया गया डिबेंचर लिस्टिंग समझौता; एवं

(iii) भारी उद्योग तथा लोक उपक्रम मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 18(8)/2005–जीएम तारीख 14.05.2010 यथा उल्लिखित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशानिर्देश

कंपनी के संबंध में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश का अवलोकन करने के बाद में निम्नलिखित पुनःनिरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

क) लेखापरीक्षा समिति

1. डीपीई दिशानिर्देश का अध्याय 4 (पैरा 4.4) में अपेक्षित है की लेखापरीक्षा समिति की वर्ष में कम से कम 04 बैठकें की जानी चाहिए। पुनःनिरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि कंपनी के संबंध में वर्ष 2015–16 में केवल दो बैठकें आयोजित की गई है।

2. ब्ल्यू रिबन कमिटी (संयुक्त राज्य में 1988 में गठित समिति जिसमें निगमित लेखापरीक्षा समितियों की प्रभावशीलता में सुधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की) की एक सिफारिश थी कि लेखापरीक्षा समिति वर्ष में एक बार कंपनी में वित्त अधिकारी अथवा प्रबंधन की उपस्थिति के बिना कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ बैठक करें। कंपनी में इस तरह की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है।

ख) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम के संपोषण हेतु दिशानिर्देश

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी ने 04 फरवरी, 2014 को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया और जैसाकि 01.04.2014 से प्रभावी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम के संपोषण पर दिशानिर्देशों के साथ पठित अधिनियम एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नियम में उल्लिखित है कंपनी को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी ने पिछले वर्ष कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है ।

समीक्षा अवधि के दौरान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई ।

घ) मैंने कंपनी में टेस्ट बेसिस के आधार पर लागू निम्नलिखित कानून के संबंध में अनुपालन के ढांचे, प्रक्रिया और प्रणाली का निरीक्षण किया ।

प्रशिशु अधिनियम, 1961; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1948; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; बोनस संदाय अधिनियम, 1965; उपदान संदाय अधिनियम, 1972; ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1956.

कंपनी ने भविष्य निधि अंशदान की व्यवस्था के लिए एअर इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट और इंडियन एयरलाइन्स कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट के नाम से अलग से ट्रस्ट बनाए हैं ।

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 :

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक यौन उत्पीडन विरोधी नीति तैयार की है। यौन उत्पीडन संबंधित प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी का गठन किया गया है। इस नीति के अंतर्गत सभी कर्मचारी (स्थाई, संविदा पर, अस्थाई और प्रशिक्षणार्थी) शामिल हैं ।

उपरोक्त कानूनों के संबंध में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं ताकि ऐसे कानूनों की मॉनीटरिंग एवं समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि शिकायत प्रबंधन प्रणाली को निम्नलिखित कार्रवाई करते हुए और मजबूत बनाने की आवश्यकता है ।

क) लागू सभी कानूनों (भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगमित शिकायत समिति बनाई जाए और एक मुख्य शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की जाए तथा केंद्रीकृत मैकेनिज्म बनाया जाए ।

ख) बोर्ड की देखरेख में कार्यात्मक यूनिटों और अनुपालन विभाग के बीच प्रभावी समन्वय बनाना और उसे कायम रखना ।

ग) ऐसी व्यवस्था स्थापित करना ताकि गैर अनुपालन को रोका जा सके, पहचान की जा सके, रिपोर्ट की जा सके और कार्रवाई की जा सके ।

घ) विभिन्न अनुपालन जोखिमों की पहचान करना और वर्गीकरण करना ।

ड.) अनुपालन चेकलिस्ट, लेखापरीक्षा, फीडबैक, उपायों की व्यवस्था करना।

ड.) मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी द्वारा लागू वित्तीय कानूनों जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानूनों के अनुपालन की समीक्षा इस लेखापरीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि उसकी समीक्षा सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा एवं अन्य मनोनीत व्यावसायिकों द्वारा किया जाना है ।

समीक्षा अवधि के दौरान तथा प्रबंधन द्वारा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा व्याख्या एवं अभिवेदन के अनुसार कंपनी ने आमतौर पर उपरोक्त विषय और उसमें उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि का अनुपालन किया है ।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं किः

कार्यपालक निदेशक, गैर कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों का समुचित तालमेल बिठाते हुए कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है । समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संयोजन में परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया है ।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठक के कम से कम सात दिन पूर्व दी जाती है और जहां बोर्ड की बैठक अल्प सूचना पर बुलाई जाती है वहां कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति आवश्यक है । कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट भेजा गया तथा बैठक से पूर्व एवं बैठक में अर्थपूर्ण सहभागिता के लिए कार्यसूची पर और अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनाई गई।

जैसाकि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया बोर्ड की बैठकों में सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए ।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिवेदन एवं मेरे विश्वास के अनुसार कंपनी पर लागू कानून, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों को मॉनीटर करने एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रक्रिया एवं प्रणाली उपलब्ध है । यह सूचित किया गया कि विभिन्न सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों द्वारा किए गए मांगों, दावों, जुर्मानों आदि का कंपनी ने जहां भी आवश्यकता है उत्तर दिया है ।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने दिनांक 29.03.2016 को हुई बोर्ड मीटिंग में भारत के राष्ट्रपति को 1,717,80,00,001 से लेकर 2,149,60,00,000 तक (दोनों मिलाकर) की विशिष्ट संख्या वाले प्रत्येक 10 रुपए के 431,80,00,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।

(जीवन प्रकाश सैनी)
व्यवसायी कंपनी सचिव
15 जून, 2017

एफसीएस सं. 3671
सीपी सं. 2100

नोट 1 : उपरोक्त के संबंध में विशेष गैर अनुपालन/निरीक्षण/लेखापरीक्षा क्वालीफिकेशन, आरक्षण अथवा प्रतिकूल टिप्पणियां यथास्थान दी गई हैं।

नोट 2 : यह रिपोर्ट हमारे समसंख्यक तारीख के पत्र के साथ पढ़ी जाए जो परिशिष्ट क के रूप में संलग्न की गई है तथा इस रिपोर्ट का अविभाज्य भाग है ।

परिशिष्ट क

सेवा में
सभी सदस्य
एअर इंडिया लिमिटेड
एअरलाइन्स हाउस, 113,
गुरूद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली–110001.

मेरी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए :

1. सचिवीय रिकार्डों का रखरखाव कंपनी के प्रबंध मंडल का उत्तरदायित्व है। मेरी जिम्मेदारी, मेरी लेखापरीक्षा पर आधारित सचिवीय रिकार्डों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. मैंने, सचिवीय रिकॉर्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की उपयुक्त परंपरा और प्रक्रिया का अनुसरण किया है। सत्यापन टेस्ट चेक के आधार पर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकार्डों में दर्शाए गए तथ्य सही हैं। मुझे विश्वास है कि जिस परंपरा और प्रक्रिया का हमने अनुसरण किया है मेरी राय को एक उचित आधार प्रदान करते हैं ।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा बहियों की विशुद्धता और अनुकूलता का सत्यापन नहीं किया है ।

4. जहां कहीं आवश्यक हो, मैंने कानून, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं की यथार्थता आदि के संबंध में प्रबंधन का अभिवेदन प्राप्त किया है ।

5. कॉर्पोरेट और लागू अन्य कानून के प्रावधान, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। मेरी जांच टेस्ट चेक के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी ।

6. यह सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो भविष्य में कंपनी की सक्षमता का आश्वासन देती है और न ही प्रबंधन द्वारा किए जा रहे कंपनी के कार्यों की प्रभावोत्पादकता अथवा प्रभावकारिता का ।

(जीवन प्रकाश सैनी)
व्यवसायी कंपनी सचिव
15 जून, 2017

एफसीएस सं. 3671
सीपी सं. 2100

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

(क) लेखापरीक्षा समिति

1. सार्वजनिक उद्यम विभाग के अध्याय 4 (पैरा 4.4) में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की साल में चार बैठकें की जानी चाहिए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015-16 में कंपनी में सिर्फ दो बैठकें आयोजित की गई।

2. ब्ल्यू रिबन समिति* (1998 में संयुक्त राष्ट्र में गठित की गई एक समिति जो निगमित लेखापरीक्षा समिति के प्रभाव में सुधार करने पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है) द्वारा दिए गए एक सुझाव के अनुसार लेखापरीक्षा समिति को कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के साल में एक बार कंपनी के वित्त अधिकारियों/प्रबंधन की अनुपस्थिति में बैठक करनी चाहिए। कंपनी द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

प्रबंधन की टिप्पणियां:

बैठकों की संख्या से संबंधित मद को नोट कर लिया गया है और कंपनी डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए भविष्य में अधिक बैठकें करेगी।

जहां तक लेखापरीक्षा समिति के वित्त अधिकारियों/प्रबंधन की अनुपस्थिति में कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षों के साथ साल में एक बार बैठक की सिफारिश की गई है, अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति को इसकी सूचना दे दी जाएगी।

(ख) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं केन्द्रीय लोक उद्यम क्षेत्र के निर्वहन हेतु दिशानिर्देश

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

प्रबंधन की टिप्पणियां

चूंकि कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ अब सीएसआर क्रियाकलापों में कोई राशि खर्च करनी अपेक्षित नहीं थी। तथापि, कंपनी की सीएसआर नीति को अंतिम रूप देने के लिए सीएसआर समिति की बैठक शीघ्र ही की जाएगी।